उन्नति विचार

वर्ष : 5 अंक : 1 जनवरी-मार्च, 2000

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
गुजरात में जल प्रबंध हेतु संस्थागत विकास के मापदंड

नजरिया 12
भारत में शहरी गरीबों और सफाई की राजनीति

आपके लिए 18
- पानी, सफाई एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में गुजरात : दस वर्षीय स्वैच्छिक योजना
- आय-व्यय पत्रक और सामाजिक क्षेत्र

अपनी बात 26
पानी का यक्ष प्रश्न हल करने में श्रमशक्ति और संगठन की महिमा

गतिविधियां एवं भावी कार्यक्रम 31

संदर्भ सामग्री 33

अपने बारे में 34

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
रमेश थानवी
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीओर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद के नाम भेजें ।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

जल की प्राप्ति : एक मूलभूत अधिकार

संस्कृत साहित्य में ऐसा लिखा हुआ है कि 'जल ही जीवन है'। पर अभावग्रस्त गुजरात, राजस्थान व देश में अन्य ऐसे ही प्रदेशों में जल के अभाव ने मनुष्यों और पशुओं दोनों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। गुजरात में जलाभाव के कारण उभरने वाले सामाजिक संबंधों के तनाव एक युवती को आत्महत्या के लिए विवश कर देते हैं तो दूसरी ओर जल का अधिकार मांगने वाले ग्रामवासियों पर पुलिस गोलियां बरसाती है। इसके साथ, ही साथ जल के उपयोग की असमानता जल-सम्बंधी वास्तविक अर्थव्यवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचती है।

भूमिगत जल के गहरे चले जाने तथा जल के प्रदूषित होने की समस्याएं जल के सवाल में नये नतीजे जोड़ती हैं तथा जल-प्राप्ति के अधिकार के सम्बंध में नये सिरे से विचार करते हेतु प्रेरित करती हैं। वैसे, पानी की समस्या को लेकर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की मध्यस्थता इस समस्या की व्यापकता को देखते हुए अपने आकार में बहुत छोटी मालूम पड़ती है। वर्षा के पानी के संग्रह, जन-सहभागिता आधारित जलस्राव-विकास तथा पानी अधिकारों में सामाजिक समानता के कार्य इस समय स्वैच्छिक संस्थाएं बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। फिर भी, जलाभाव की तीव्रता और व्यापकता को देखते हुए ये प्रयास विस्तार एवं प्रभाव दोनों ही दृष्टियों से मर्यादित रहे हैं। अतः व्यक्तिगत स्तर पर एवं पारीवारिक स्तर पर पानी के अपव्यय को रोकने के प्रयासों का होना बहुत जरूरी है। यह अपव्यय जल की असमान-प्राप्ति की वजह से है। जिनके पास जल है, वे जल-विहीन-जनों के प्रति संवेदना नहीं रखते। अतएव जल का उपयोग किस तरह किया जाए और जल-संरक्षण किस तरह किया जाए, इस बारे में शहरी व ग्रामीण अंचलों में वहां के नागरिकों को व्यापक शिक्षा देने की महती आवश्यकता है। इसमे उपरांत, जल का अपव्यय करने वाले तथा जल-प्रदूषण करने वाले लोगों तथा इकाइयों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही हेतु सामाजिक दबाव डालने की भी आवश्यकता है। फिर, कम मूल्य पर अथवा मात्र किंचित मूल्य पर जल प्राप्त करने वाले लोग और इकाइयां भी सामाजिक एवं राजकीय चिंता के विषय बनने चाहिए। मूल्य-निर्धारण की व्यवस्था असमानता पोषित करने वाली न बन जाए, ऐसा राजकीय और सामाजिक वातावरण निर्मित करना पड़ेगा।

इसी तरह जल की समस्या के समाधान में लोगों की सहभागिता महत्त्वपूर्ण है। परियोजनाओं के आयोजन व क्रियान्वयन में अभी तक अधिकतर प्रबंधकीय और अभियांत्रिकी विषय ही महत्त्वपूर्ण रहे हैं। घरेलू उपयोग, सिंचाई या औद्योगिक तथा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए पानी के आयोजन में तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में जनभागीदारी संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देने मात्र से समस्या हल नहीं होती। इसी से जल के अधिकार का प्रश्न महत्त्वपूर्ण बन जाता है। जल सभी का मूलभूत अधिकार है। असमान वितरण के परिणामस्वरूप कई लोग जल पर विशेषाधिकार रखने लगे हैं। अतः जल की समस्या सिर्फ परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की नहीं है, वरन् सभी के जीवनाधिकार की है। इसी परिप्रेक्ष्य में जल की जटिल समस्या के समाधान के प्रयास न्यायसंगत होंगे।

गुजरात में जल-प्रबंध : संस्थागत विकास के मापदंड

'विकसत' के द्वारा हाल ही में अहमदाबाद में जल-प्रबंध हेतु आयोजित एक सर्वग्राही कार्यशाला का विवरण यहां प्रस्तुत है। इसे 'विकसत' के सर्वश्री **श्रीनिवास मुद्रकर्ता, शशिकांत चोपड़ा, अंजल प्रकाश** एवं **मीनाक्षी गाडगिल** ने तैयार किया है।

प्रस्तावना

गुजरात में शहरी एवं ग्रामीण समाज के सभी वर्ग जल की कमी और प्रदूषण के प्रभावों का ज्यादा से ज्यादा अनुभव कर रहे हैं, हालांकि प्रत्येक वर्ग पर इसका अलग-अलग प्रभाव पड़ रहा है। परिस्थिति खराब हो रही है, क्योंकि शीतकाल के दरमियान भी जल के अभाव का अनुभव हो रहा है। खेती की उत्पादकता घट रही है और प्रभावित समुदायों को शहरी जंगलों में स्थानांतरित करने की जरूरत पड़ रही है। इस स्थानांतरण से अलग ही प्रकार के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। गुजरात सरकार ने राज्य के 18000 गांवों में से लगभग 14000 गांवों को इस वर्ष जल की तीव्र कमी के परिणामस्वरूप समस्याग्रस्त गांव घोषित किये हैं। 10,000 गांवों को 'स्रोतविहीन' के रूप में रेखांकित किया गया है और इन गांवों की पेयजल की आवश्यकता को बाहर से पूरा किया जा रहा है। पानी की कमी की समस्या बढ़ रही है और ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के लिए भूमिगत जल का अवलम्बन बढ़ता जा रहा है, बल्कि शहरी इलाकों में भी पेयजल के लिए भूमिगत जल का अवलम्बन बढ़ता जा रहा है।

गुजरात का 75 प्रतिशत भूमिगत जल काम में लिया जा चुका है तथा उत्तर गुजरात की 43 तहसीलों में से 18 तहसीलों में तो उसका उससे भी ज्यादा उपयोग लिया जा चुका है। गुजरात के 1600 कि.मी. लम्बे समुद्र तट में से 1100 कि.मी. में खारा पानी जमीन में घुस जाने की समस्या है। गुजरात में कुल 24 नदियों के तट हैं और वे पीने तथा सिंचाई के वास्ते जल के मुख्य स्रोत हैं। उनमें से बहुत-सी सूख गई हैं, या फिर नदियों में बेरोकटोक प्रदूषण ठेले जाने से प्रदूषित हो चूकी हैं। इन सब ने गुजरात में पेयजल के अभाव को अत्यंत तीव्र बना दिया है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं एक घड़ा पानी प्राप्त करने के लिए मीलों दूर जाती हैं और पानी को लेकर होने वाली मारपीट की घटनाएं बिल्कुल सामान्य हो गई हैं। इस वर्ष जबर्दस्त अकाल ने गुजरात के सभी इलाकों में परिस्थिति खराब कर दी है।

'गुजरात में जल-प्रबंध हेतु संस्थागत विकास के मापदंड' विषयक राज्यस्तरीय कार्यशाला में इन मुद्दों से ही चर्चा का शुभारंभ हुआ। ''विक्रम साराभाई सेंटर फॉर डवलपमेन्ट इंटरएक्शन' (विकसत) द्वारा 29 फरवरी 2000 को अहमदाबादमें इस कार्यशाला को आयोजित किया गया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्वैच्छिक संस्थाओं, सरकारी संगठनों, शोधकर्ताओं एवं विद्वानों के बीच अनुभव का आदान-प्रदान करना तथा तथा गुजरात में विविध कार्यक्रमों द्वारा जल-प्रबंध हेतु प्रभावशाली संस्थाओं के निमित्त सबक सीखना था। इस कार्यक्रम में जलस्राव-प्रबंध, जल-संग्रह, सहभागी सिंचाई व्यवस्था आदि का समावेश किया गया था। कार्यशाला में जल-संसाधनों में संस्थाओं, जल-प्रबंध सम्बंधी अभिगम तथा पंचायतों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया था। जल संसाधन प्रबंध कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी हेतु कार्यनीति निर्मित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए ग्राम-विकास आयुक्त श्री रवि सक्सेना ने कहा कि जल-प्रंबध फकत डिजाइन और उसमें विविध ढांचे अथवा निर्माण-कार्य नहीं, परंतु उसमें सामाजिक इंजीनियरी का समावेश होता है। उनके मतानुसार इन सभी प्रश्नों को संस्थागत रीति से देखने के लिए यह परिसंवाद है ताकि गुजरात राज्य में जल-प्रंबध के प्रश्नों को उस दृष्टि से देखा जा सके तथा जल - संरक्षण के लिए उचित पद्धतियों हेतु लोगों की कार्यसूची बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि गुजरातमें 70 प्रतिशत जलस्राव विभाग योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा होता है और नतीजे अत्यंत रचनात्मक हैं। उन्होंने राज्य में जल के समग्र

प्रबंध हेतु जी.आई.एस. (जियोग्रेफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम) की जरूरत पर बल दिया और कहा कि ग्राम-विकास विभाग शीघ्र ही गुजरात में जी.आई.एस. नक्शे तैयार करेगा और उस आयोजन को अधिक सरल बनाएगा।

गुजरात स्थित स्वैच्छिक संस्थाओं के उदाहरण देते हुए 'विकसत' के निर्देशक श्री श्रीनिवास मुद्रकर्ताने कहा कि किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन में सफलता के लिए जलप्रबंध में जन-सहभागिता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। गुजरात में हर 4-5 वर्ष बाद एक वर्ष मानसून निष्फल जाता है और हम सब घबरा जाते हैं। यह इस बात को दरसाता है कि हम अपने जल का समुचित प्रबंध नहीं कर रहे। फिर, जल के प्रभाव कि समस्या का मनमाने ढंग से समाधान नहीं किया जा सकता, कि जैसे राजकोट में हो रहा है। राजकोट से 50 कि.मी. की त्रिज्या में 1500 फीट की गहराई तक बोरवेल कराया जा रहा है ताकि शहर को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सके। प्रत्येक बोरवेल लगभग 7 लाख गेलन पानी उपलब्ध कर सकता है। पर वस्तुतः उतना पानी आता ही नहीं। खेती और उद्योगों पर इस बोरवेल का कितना प्रतिकूल प्रभाव

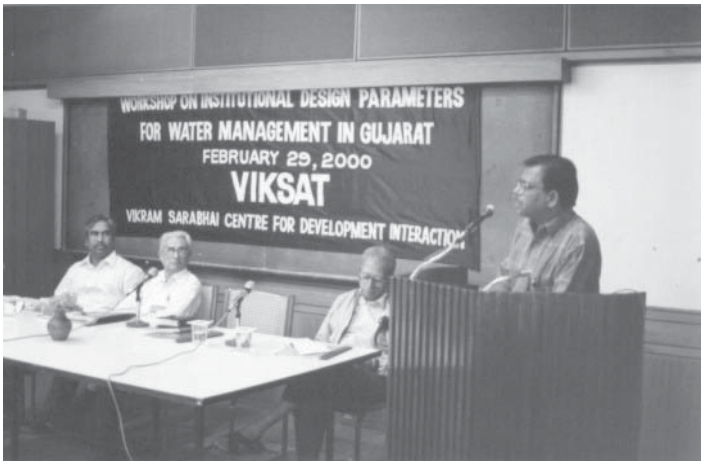

पड़ेगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आज आयोजन और क्रियान्वयन में हितैषियों की सहभागिता के प्रभाव, जल के उपभोक्ता और व्यवस्थापक के रूप में महिलाओं की सहभागिता के अभाव तथा उचित प्रबंध व्यवस्था के अभाव के कारण जल का संकट उपस्थित हो गया है। उन्होंने सामुदायिक भागीदारी के साथ स्थानीय स्तर के जल-संग्रह के उदाहरण प्रस्तुत किए थे। श्री मुद्रकर्ताने बल देते हुए यह भी कहा कि जल का संरक्षण करना सिर्फ गांवों का ही सवाल नहीं है। शहर भी घर की छतों पर गिरने वाले वर्षा के पानी का संग्रह कर सकते हैं।

कार्यशाला में संस्थागत डिजाइन के पहलुओं, जल-संचालन के अभिगमों, महिलाओं के प्रश्नों तथा पंचायतों के साथ उनके संबंधों और राज्य में जल के उपभोक्ता समूहों के बारे में चर्चा हुई थी। कार्यशाला में लगभग 15 अध्ययन आलेख प्रस्तुत किए गए थे और वहां स्वैच्छिक संस्थाओं, सरकारी संगठनों, अनुसंधान और अकादमिक संस्थाओं तथा स्थानीय समूहों में 55 प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यशाला में चार मुद्दों पर चर्चा हुई थीः

1. जल-संसाधन प्रबंध के संस्थागत पहलू

जलस्राव-विकास, जल-संग्रह, सहभागी सिंचाई संचालन, सिंचाई की सक्षम पद्धतियों जैसे विविध कार्यक्रमों ने इसके लिए विविध नेटवर्क खड़े किए हैं। विविध संस्थाएँ इन स्रोतों और नेटवर्क्स के संचालन के लिए खड़ी हुई हैं। इन संस्थाओं ने विविध डिजाइनों, सेवाओं, नियमों तथा स्तरों को अपनाया है कि जो उनके सदस्यों को जल की प्राप्ति, नियंत्रण एवं अधिकार के विषय में निश्चित दिशा देते हैं। संसाधन-संचालन मुख्यतया इन संस्थाओं और इनकी कार्यक्षमता पर आधारित है। निम्न मुद्दों के बाबत वहाँ चर्चा हुई :

- सदस्यों में व्यवसायगत विविधता है वैसे ही नियमों की विविधता है, देखरेख आदि के नियम है।
- इन नियमों किस तरह प्रोत्साहन व लाभ उपलब्ध किए हैं और बदले में वे किस तरह वितरित होते हैं।
- संघर्षों का स्वरूप और उनके हल की व्यवस्था।
- स्थानीय संगठन लम्बी अवधि तक काम करें, उससे संबंधित नियम।
- वित्तीय एवं नियमनकारी अन्य संस्थाओं की वर्तमान तथा भावी भूमिका।
- स्थायी संस्थाएँ निर्मित करते हेतु लोगों को सक्षम बनाने वाली किसी परियोजना की इष्टतम अवधि कितनी होनी चाहिए? स्वैच्छिक संस्था वहाँ से हट जाए, इसके लिए व्यूह-रचना कैसी होनी चाहिए?

अध्ययन आलेख

मुम्बई की 'सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग पार्टिसिपेटरी ईको-सिस्टम

मैनेजमेंट' के श्री के. आर. दात्ये ने 'जल कानून, जल नीति एवं संस्थाएं' विषय पर अपने मंतव्य प्रस्तुत करते हुए भूमिगत जल-प्रबंध के वर्तमान कानूनी ढाँचे की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जब कोई भूमिगत जल की बात करता है तो उससे संबंधित एक कानून है, एक सत्ता-मंडल भी है, लेकिन उसके क्रियान्वयन की प्रभावशाली व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि नीति के निर्माण और क्रियान्वयन के दायित्व के बीच आंतरिक संबंध है और उसे समुदाय के स्तर पर ही स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने स्वैच्छिक संस्थाओं के समुदाय को मजबूत बनाने के लिए बाजार व राज्य से बाहर के शक्तिशाली लोगों के मध्य संवाद स्थापित करने का आह्वान किया।

बाद में 'निरमा इन्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट' के प्रो. अस्ताद पस्ताकिया ने 'स्वास्थ्य, सम्पत्ति एवं चिरंतन समृद्धि : संस्थागत चिरंतनता के निर्देशनों का संग्रह' विषय पर अध्ययन लेख प्रस्तुत किया था। उनके अध्ययन-लेख में संस्थागत स्वास्थ्य एवं चिरंतनता की छानबीन हेतु निर्देशकों की सूची थी। विविध निर्देशकों में सबसे महत्त्वपूर्ण निर्देशक संगठन में सबकी साझी भावी दृष्टि था। दूसरा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हितैषियों संबंधी था – समस्त हितैषियों के हितों का ध्यान रखा जाता है या नहीं, उनका प्रतिनिधित्व हुआ है या नहीं, उनकी पर्याप्त भागीदारी है या नहीं, महिलाओं और समानता के सवालों को ध्यान में रखा जाता है या नहीं, इत्यादि।

जल-संसाधन प्रबंध का अभिगम

तह पर उपलब्ध जल तथा भूमिगत जल दोनों के प्रबंध-हेतु अनेक अभिगमों का प्रयोग हुआ है और वह विविध जल-संबंधी एवं सामाजिक परिस्थिति में हुआ है। इन अभिगमों में अलग-अलग दर्शन हैं, क्रियान्वयन की अलग-अलग शैली है; अतः उनका प्रभाव भी अलग-अलग है। उनमें से निम्न मुद्दों को पहचान कर निकाला गया है :

- समानतापरक अभिगम अपनाने के गुण-दोष क्या-क्या हैं? अलग-अलग कार्यक्रमों का संकलन किस तरह हो सकता है? जल-प्रबंध हेतु स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों के वास्ते यह अभिगम किस तरह और किस प्रकार के प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगा?
- क्या यह नीचे से ऊपर का विकेंद्रित आयोजन का अभिगम होना चाहिए? ऊपर से नीचे के केंद्रित आयोजन के अभिगम की तुलना में इसमे लाभ-अलाभ क्या हैं?
- जल-संसाधन-प्रबंध और ग्राम-विकास के अन्य कार्यक्रमों के मध्य कौन-से अंतर्सम्बंध हैं? किसी भी कार्यक्रम के लक्ष्यांक सिद्ध करने के लिए ये संबंध किस तरह मददगार होते हैं?
- जल-संसाधन-प्रबंध के लिए अपनाये गये किसी भी अभिगम में शामिल विविध संस्थाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए?

गुजरात में जलस्राव कार्यक्रमों का विहगावलोकन प्रस्तुत करते हुए 'गुजरात इन्स्टिट्यूट ऑफ डैवलपमेंट रिसर्च' की डॉ. अमीता शाह ने जलस्राव कार्यक्रम एक परियोजना से बढ़कर एक प्रक्रिया है, इस बात पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात जल-स्राव-प्रबंध का समृद्ध अनुभव रखता है, परंतु दाताओं, क्रियान्वयन-कर्ताओं तथा लोगों के द्वारा जलस्राव कार्यक्रम को जिस ढंग से देखा जा रहा है, उसमें टूटी-छूटी कडियाँ अनेक हैं और लोग तो अभी एक तरफ ही बैठे हैं। कार्यक्रम कहीं पर बनता है और वित्तीय व्यय कहीं दूसरी जगह तय होता है, और मूल विकेंद्रित आयोजन की शैली पर जिन्होंने कार्यक्रम विकसित किया है वे इस कार्यक्रम को जैसे अमल में ला रहे हैं। उनके मतानुसार जलस्राव का समग्र कार्यक्रम गुजरात में अब भी लोगों के द्वारा खड़ा नहीं हो रहा है। जब तलक यह अधिकाधिक प्रक्रिया का अभिगम नहीं बनेगा, तब तक कार्यक्रम के उद्देश्य हासिल कर पाना मुश्किल है। डॉ. शाह ने हाल ही में राज्य के जलस्राव के कार्यक्रमों का विहगावलोकन किया है।

पंचायतें और जल-उपभोक्ता समूह

73वें संविधान-संशोधन के बाद पंचायतें सत्तावार रीति से शासन की विकेंद्रित व्यवस्था का हिस्सा बन गई हैं। परंतु व्यवहार में ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि पंचायतें जन-प्रतिनिधियों द्वारा चलाये जाने की बजाय अफसरशाही के विस्तारित अंग के रूप में ही चलती हैं। सरकार ने तथा स्वैच्छिक संस्थाओंने जल-संसाधन-प्रबंध कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें उसके क्रियान्वयन-हेतु नए संसाधन-आधारित समूह बने हैं। हाल में कई क्षेत्रीय अनुभव यों दरसाते हैं कि पंचायतों और जलस्राव-उपभोक्ता मंडलों,

उपभोक्ता समूहों, वृक्ष उत्पादन सहकारी मंडलियों तथा ऊर्ध्व सिंचाई सहकारी मंडलियों जैसी संस्थाओं के मध्य संघर्ष छिड़ते हैं। उनमें ये मुद्दे महत्त्व के हैं :

- जल-प्रबंध में पंचायतों की भूमिका और दायित्व अभी क्या हैं? वर्तमान और संभावित संघर्ष-क्षेत्र कौन से हैं? उनके संभावित समाधान की व्यवस्था क्या है? जल-प्रबंध हेतु पंचायतें लोगों को सक्षम बनाने की भूमिका किस तरह निभा सकती हैं? पंचायतें अन्य स्थानीय संस्थाओं के साथ संवादी रीति से किस तरह काम कर सकती हैं?
- स्थानीय स्तर पर संस्थाएँ अधिक हों तो इसका उनके काम पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- ये संस्थाएँ उत्साहपूर्वक काम करें, इसके लिए जरूरी क्षमताओं की गुंजाइश कितनी है और उनका स्वरूप क्या हो सकता है?

'सेंटर फार एन्वायरन्मेंट प्लानिंग एंड टेक्नोलोजी' की दर्शना महादेविया और 'अहमदाबाद स्टडी एक्शन ग्रुप' (असाग) राकेश भट्ट द्वारा 'मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाई महिला पानी पंचायत : प्रोसेस एंड ईश्यूज' नामक अध्ययन-लेख में अहमदाबाद जिले के रूपाल ग्राम का एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया था। यह जिला जलाभाव की समस्या का सामना कर रहा है और सुश्री अमीना बहन के नेतृत्व में रुपाल गाँव के महिला मंडल ने ग्राम पंचायत में पानी समिति की स्थापना द्वारा पानी की आपूर्ति का नियमन किया है। लेखकों के मत से पेयजल हेतु महिलाओं की भूमिका प्रभावशाली बन जाती है क्योंकि पर्यावरण के साथ उनका रोजमर्रा का नाता है और रोजमर्रा के जीवन के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जब जब यह संबंध खतरे में पड़ता है, तब तब महिलाएँ परिवर्तन की प्रभावी अधिकर्ता बनती हैं।

जल-प्रबंध में महिलालक्ष्यी दृष्टिकोण

पिछले कई दशकों के दरमियान जल-संसाधन-प्रबंध कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता की जरूरत और विशेष रूप से निर्णय लेने के स्तर पर उनकी जरूरत बढ़ी है। कुटुम्ब के संचालन में महिलाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण है, अतः जलप्रबंध की रीति में भी वे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। साथ ही साथ, खेती जैसे उत्पादन के क्षेत्र में भी महिलाएँ समान रूप से भागीदार हैं। सिंचाई और हरित क्रांति ने उत्पादन बढ़ाया है और उनका कार्य-बोझ बढ़ाया है। साथ ही साथ, जल उपभोक्ता समूह, वृक्ष-उत्पादक सहकारी मंडली जैसी स्थानीय संस्थाओं में उनकी भूमिका भेदभाव की वजह से अत्यंत नगण्य रही है। स्त्रियों की भूमिका परिवार में है, उत्पादन प्रक्रिया के साथ नहीं, ऐसी लोक-धारणाओं से यह परिणाम आया है, फिर भले ही उत्पादन-प्रक्रिया में वे बराबर की हिस्सेदार हों। जल के साथ के संदर्भ में महिलाओं के प्रति यह भेदभाव मुख्य रूप से जल का उपयोग महिलाएँ करती हैं, इसमें से नहीं आया, वरन् जल कौन रखता है और उस पर कौन नियंत्रण रखता है, इसमें से आया है। अत : भेदभावयुक्त दृष्टिकोण को बदलने के लिए निर्णय-प्रक्रिया में स्त्रियों की भागीदारी महत्त्व की बन जाती है। इस संदर्भ में जो चिंता व्यक्त की गई, उसमें निम्न मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं :

- वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थिति में जल-प्रबंध कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाते हेतु कैसी व्यूहरचना है?
- सामुदायिक प्रयासों के परीणामस्वरूप प्राप्य जल पर महिलाओं का अंकुश बढ़ाने के कौन से उपाय हैं?
- निर्णय-प्रक्रिया में महिलाएँ अधिक भागीदार हों, इसके लिए महिलाओं की आर्थिक सक्षमता बढ़ाने के क्या उपाय हैं?
- जल-प्रबंध कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता के कारण पुरुषों और महिलाओं के बीच के संबंध बदल रहे हैं?

कार्यशाला में चल रही समूह चर्चा

भावनगर की स्वैच्छिक संस्था 'एरिया नेटवर्किंग एंड डवलपमेंट इनीशियेटिव्ज' की सुश्री जाह्नवी अंधारीया ने 'जेंडर पर्सपेक्टिव इन वाटर मैनेजमेंट' विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए

कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध कार्यक्रमों में परियोजना के तमाम स्तरों पर महिलाओं को शामिल करने की जरूरत है। इसका कारण यह है कि महिलाएं बड़ी हितचिंतक हैं। इसका कारण यह भी है के उनका घरेलू तथा खेती दोनों उद्देश्यों से जल के साथ वास्ता पड़ता है यद्यपि प्रबंध को प्रक्रियाओं में महिलाएं विभिन्न कारणों से एक किनारे रह जाती हैं। उनके मतानुसार, महिलाओं की सहभागिता का अर्थ यह है कि उनमें आत्मविश्वास उदित हो और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो, इसके लिए उन्हें विशेष रूप से तैयार किया जाए। अत : ग्राम स्तर पर और संगठन स्तर पर उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए संस्थागत ढाँचे की स्थापना जरूरी है।

खुली बैठक में उभरने वाले मुद्दे

उपर्युक्त सभी विषयों पर कार्यशाला में समूह-चर्चा की गई और उनके प्रस्तुतीकरण का गुजरात में जल-प्रबंध हेतु संस्थागत ढाँचा निर्मित करने में उपयोग हुआ। अहमदाबाद की स्वैच्छिक संस्था 'डवलपमेंट सपोर्ट सेंटर' के प्रधान श्री अनिल सी. शाह ने खुली बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में जल-प्रबंध की समस्या के हल का एकमात्र उपाय संस्थाओं को मजबूत करना है। उन्होंने जल-प्रबंध कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए तथा जमीन-जैसे उत्पादक-संसाधनों के स्वामित्व के अधिकार महिलाओं को प्रदान करने हेतु उचित व्यूहरचना निर्मित करने का आह्वान किया। उनके अनुसार पंचायतों को इसमें

पेय जल की समस्या सुलझाने में रूपाल गाँव की महिलाओं की भूमिका

रूपाल गाँव अहमदाबाद जिले में धोळका तहसील में आता है। इसकी आबादी 3000 है। सन् 1985में रूपाल गाँव में ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल-आपूर्ति हेतु एक बोरवेल की खुदाई कराई गई। सन् 1990 में वह बोरवेल खराब हो गया। कारण यह था कि पानी का स्तर नीचे जा रहा था और पंपसेट में रेत भर गई थी, जिससे पंप खराब हो गया था। पंप वैसे ही बिगड़ी हालत में पड़ा रहा। विद्युत बोर्ड या ग्राम पंचायत दोनों में से एक ने भी उसकी मरम्मत नहीं कराई। तीन बरस तक गाँव की स्त्रियाँ जल भरने के लिए रोजाना 10-15 कि.मी. की लंबी यात्रा करतीं। स्त्रियों ने पुरुषों से बहुत विनती की, पर वह बहरे कानों से ही टकराई थी। अहमदाबाद की एक स्वैच्छिक संस्था असाग का एक कार्यकर्ता उसी गाँव का था। उसने महिलाओं को अमीना बहन के नेतृत्त्व में समस्या हल करने हेतु महिला पानी पंचायत में इकट्ठा किया।

पानी पंचायत ने पंप की मरम्मत और बोर्ड की बकाया राशि चुकाने के लिए परिवारों से 6000 रु. इकट्ठे किए। वे वह राशि लेकर बोर्ड के पास गईं और फिर से बिजली चालू करने का अनुरोध किया। बिजली बोर्ड ने कहा कि 6000 रु. के अलावा 24 प्रतिशत ब्याज भी भरना पड़ेगा। यह रकम 37000 रु. होती थी। स्त्रियों ने बिजली बोर्ड के चक्कर काटे और अधिकारियों को अपने नेक इरादे से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि इतनी रकम भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की है। इस समय इससे ज्यादा राशि इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है। इस पर बोर्ड ने एक साल में राशि जमा करने की अनुमति दे दी। दूसरा सवाल पंप की मरम्मत कराने का था। कई सहानुभूति रखनेवाले कर्मचारियों ने स्त्रियों की पहल देखकर पंप सुधारने का जिम्मा लिया। उन्होंने जल-कर उगाहने का अधिकार भी महिला पानी पंचायत को दे दिया।

37000 रु. की बड़ी राशि चुकाने का सवाल तो अभी खड़ा ही था। कुछ वर्षों के दरमियान वह राशि चुकाई जाए, तब भी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। उस पर 24 प्रतिशत ब्याज तो बढ़ ही रहा था। इसलिए वे प्रधान के पास गए और उन्हें बताया कि सरकार के एक प्रस्ताव के मुताबिक यदि लोग बकाया राशि की 40 प्रतिशत रकम चुका दें तो शेष रकम माफ की जा सकती है। जब समस्या का हल होता नजर आया तो ग्राम पंचायत ने पंप की मरम्मत के लिए 3000 रु. दिये और प्रधान ने वह रकम माफ करने का बीड़ा उठाया। स्वैच्छिक संस्था ने भी पंप की मरम्मत के लिए कुछ राशि ऋण के बतौर दे दी। अभी महिला पानी पंचायत अमीना बहन के नेतृत्व में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था गाँव में कर रही है और जल-कर की उगाही भी कर रही है।

(स्रोत : दर्शिनी महादेविया और राजेश भट्ट का लेख: 'मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बाई महिला पानी पंचायतः प्रोसेस एंड ईश्यूज')

अलग प्रशासनिक भूमिका अदा करनी है; हालाँकि उपभोक्ता-आधारित समूह पंचायत से अलग होने चाहिए, जो ग्रामसभा के प्रति उत्तरदायी हों। श्री शाह ने गुजरात में जल-प्रबंध हेतु समग्रलक्ष्यी अभिगम अपनाने की हिमायत की तथा लोगों की भूमिका बढ़ाने पर तथा संसाधनों पर लोगों का अंकुश बढ़ाने पर बल दिया। जो मुद्दे और व्यूह रचनाएँ प्रस्तुत हुईं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

1. स्थानीय जल-प्रबंध प्रवृत्तियाँ

वन और जल दो बड़े प्राकृतिक संसाधन हैं कि जिनका स्थानीय स्तर पर संरक्षण किया जाना जरूरी है। वनों की मात्रा बढ़े तथा सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा हो तो जल की प्राप्ति बढ़ेगी और जल की प्राप्ति बढ़ने से इनकी वृद्धि होगी। स्थानीय प्रबंध की अनेक प्रवृत्तियाँ हैं, जो उस अंचल में जल की प्राप्ति को बढ़ाती हैं। इनमें से कुछ प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं :

अ. सार्वजनिक भूमि, तालाब एवं जल संग्रहों का संरक्षण एवं प्रबंधन : अनेक गाँव अपने जंगलों एवं तालाबों आदि का प्रबंध करते हैं। इन पर्यावरणीय संसाधनों का विनाश हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण संस्थाएँ इन संसाधनों पर अपना अंकुश गँवा रही हैं। हालाँकि, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन ने कुछ हद तक स्थानीय समुदायों को यह अधिकार वापिस प्रदान किया है तथा पंचायतें स्वशासन की इकाइयां बनी हैं। गाँव की स्थानीय संस्थाएँ गोचर, जैसी सार्वजनिक भूमि का संरक्षण कर सकती हैं। इसी भाँति गाँव के तालाबों से कीचड़ निकाला जा सकता है ताकि उनके उभार को रोका जा सके। भूमि और नमी के संरक्षण की अनेक पद्धतियाँ हैं और स्थानीय जल-प्रबंध की प्रवृत्तियों हेतु उनका प्रयोग किया जा सकता है। उनमें सार्वजनिक व निजी भूमि में वृक्षों की रुपाई, नाले बंद करने, नालियां बंद करने, छोटे चेक-डेम बाँधने, सार्वजनिक वनों की चराई आदि से रक्षा आदि प्रवृत्तियों का समावेश है। ये प्रवृत्तियाँ वर्षा के पानी का संग्रह करने तथा जमीन की आर्द्रता की मात्रा बढ़ाने में उपयोगी हैं और ये पानी की प्राप्ति को बढ़ाती हैं।

आ. जल-प्रबंध की देशज रीतियाँ : भारत में प्राचीन काल से जल का संग्रह होता आया है। प्राचीन ग्रंथों एवं स्थानीय परंपराओं में इसका प्रमाण मिलता है। हालाकिं, ये प्रमाण स्थानीय अंचलों संबंधी हैं और ये अधिकांशतया भौगोलिक-पर्यावरणीय परिस्थिति पर आधारित हैं। ये स्थानीय पद्धतियाँ लंबे समय बाद बनी हैं, अतः ये स्थानीय सामाजिक-आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुकुल होती हैं। उत्तर गुजरात में टांका व्यवस्था थी जो देशज पद्धति का प्रमाण है। एसी पद्धतियाँ खोज निकालने तथा उनका वर्तमान जल-प्रबंध-पद्धतियों के संग मेल बिठाने की तत्काल आवश्यकता है।

2. महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि :

अ. महिलाओं को ध्यान में लेता आयोजन : जल-प्रबंध-संबंधी परियोजनाओं में महिलाओं की रोजमर्रा की तथा व्यूहात्मक जरूरतों दोनों को ध्यान में लेना चाहिए। रोजमर्रा की अथवा व्यावहारिक जरूरतों का अर्थ यह है कि वे उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती हैं और स्त्रियों को जल भरने के लिए दो घंटे तक यदि चलना पड़ता है तो जलस्राव कार्यक्रम उनके लिए पानी नजदीक ले आएगा। परंतु उससे कदाचित स्त्रियों और पुरुषों के बीच के संबंध न भी बदलें और समाज में लंबी अवधि का बदलाव न भी आए। इसका यह अर्थ है कि परियोजना से स्त्रियों के व्यूहात्मक हितों की रक्षा नहीं हुई और उनमें उनके निर्णय नहीं लिए-दिए जाते और गैर-परंपरागत प्रवृत्तियों में हिस्सेदार भी नहीं होने दिया जाता, इत्यादि। उस प्रकार, यदि पानी को उनके घरों के समीप लाने की प्रक्रिया महिलाओं को निर्णय-प्रक्रिया में शामिल करने तथा उन्हें अन्य स्थलों का प्रवास करा कर, वे अपनी प्रवृत्ति का आयोजन कैसे करेंगी, इसका निर्णय करने देकर कराई गइ होती, तो उनकी मात्र व्यावहारिक जरूरतें ही पूरी नहीं होतीं वरन् उनकी व्यूहात्मक हितों की भी रक्षा हुई होती। इसका कारण यह है कि ऐसा करने से स्त्रियाँ समुदाय में अपना महत्त्व समझकर उससे सम्बंधित मंत्रणा कर सकती हैं और उन संबंधों को बदल सकती हैं। ये संबंध ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर प्रभाव डालने वाले हैं।

आ. परियोजनाओं में महिलाओं की भागीदारी : कई बार महिलाओं की सहभागिता और उनका योगदान मजदूरी में मिले, इस अर्थ में ही लिया जाता है। महिलाओं की भागीदारी का यह

खराब से खराब स्वरूप है। इसका अर्थ यह भी है कि वे निर्णय-प्रक्रिया में शामिल हों। निर्णय-प्रक्रिया में स्त्रियों की कभी भूमिका नहीं थी, जहाँ कहीं भी थी, वहाँ व्यक्तिगत रूप में थी। प्रश्न यह है कि हम कैसे स्त्रियों को निर्णय लेने योग्य बनाएँ और कैसे समझाएँ कि उन्हें निर्णय लेने का अधिकार है? कई ऐसे संगठन हैं, जो समग्र समुदाय के प्राकृतिक संसाधनों बाबत बात करने से पहले महिलाओं से ही बात करते हैं। वे प्राकृतिक संसाधनो के प्रबंध हेतु छोटी से छोटी बातें समझाने में सक्षम बनाते हैं। उस समय वे उनके अपने समुदाय के भीतरी संसाधनों के संदर्भ में लघु टेक्नोलोजी के बारे में बात करते हैं। उदाहरणार्थ, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध कार्यक्रमों के क्रियान्यवन में संगठन छह महीनों से एक वर्ष का समय महिलाओं के साथ बितायें और उनको जानकारी प्रदान करें। तब पुरुष स्त्रियों से नई सूचनाओं की बारे में पूछताछ करें। पुरुषों के संग सीधी बातचीत करने के बजाय पहले स्त्रियों के संग बातचीत करनी चाहिए। स्त्रियों को नई जानकारी दी जाए और वे जानकारी पुरुषों को प्रदान करें। तब वे एक ही मंच पर बैठें, बातचीत करें और यह तय करें कि आगे कैसे बढ़ें। गुजरात के अनेक अकाल-संभावित इलाकों में यह व्यूहरचना सफल रही है।

इ. *संगठनों के मध्य सहयोग :* यह एक सुविदित तथ्य है कि प्रत्येक संगठन की अपनी शक्ति होती है और प्रत्येक संगठन सभी बातों में माहिर नहीं होते। अतः संगठनों के बीच सहयोग साधने की जरूरत रहेती है। महिलाओं के अनेक संगठन जलस्राव-प्रबंध के विविध पहलुओं से अनजान हैं। महिलाओं का संगठन मजबूत संगठनो के साथ मिल कर काम करे, यह जरूरी है। इसी भाँति टेक्नीकल दृष्टि से मजबूत संगठनों को महिलाओं की सहभागिता-हेतु जिन्होंने व्यूहरचनाएँ निर्मित की हैं, उन

पानी की समस्या का समाधान करने हेतु सामूहिक समझ अपनाती हैं महिलाएँ

अहमदाबाद जिले की धंधुका तहसील का एक गाँव है रायगढ़। उसकी आबादी 850 है और वहाँ मुख्य रूप से दरबारी रहते हैं। गाँव की निम्न जाति के लोगों को बहुत-सारी समस्याओं का सामना दरबारियों की वजह से करना पड़ता है।

जल-आपूर्ति बोर्ड की पाइपलाइन रायगढ़ और चेरगाम गाँवो में आती थी। रायगढ़ में पानी पहुँचता था, लेकिन चेरगाम में नहीं पहुँचता था। अकाल के दौरान चेरगाम मे दरबारियों ने रायगढ़ आने वाली पाइपलाइन में मोटर लगाकर पानी खींचकर गाँव का तालाब भरना शुरू किया। इससे रायगढ़वासियों के सामने समस्या खड़ी हो गई। उनके तालाब में इसी पाइपलाइन से पानी आता था। पानी का यही एकमात्र स्रोत था। वे पानी-समिति द्वारा उस तालाब के पानी का प्रबंध करते थे। पानी-समिति के सदस्य चेरगाम के साथ शांतिपूर्वक पानी का सवाल हल करना चाहते थे। परंतु दरबारी सहमत न थे। उन्होंने बड़े अधिकारियों से अनुमति ले ली और पानी खींचना जारी रखा। पाइपलाइन पुरानी थी। अत : बहुत-से पानी का रिसाव हो जाता था। यह देखकर महिलाएँ दुःखी हो गईं। उन्होंने अनेक बार ग्रामवासियों को बुलाया और उन्हें संगठित किया।

इस तरह उन्होंने ग्रामवासियों से दरबारियों द्वारा पानी ले लेने के विरुद्ध विरोध व्यक्त करने की मंजूरी ले ली। अंत में उन्होंने तय किया कि उनको भी पानी का अधिकार मिलना चाहिए। धंधुका तहसील की 50-60 स्त्रियाँ माहिती के कार्यकर्ताओं की मदद से जिला विकास अधिकारी से मिलीं और पूछा कि उनकी अनुमति के बगैर पास के ग्रामवासियों को इस तरह पानी खींचने की अनुमति क्यों दी गई? उन्होंने यह भी कहा कि वे पानी के लिए प्राण दे देंगी। जब तक उन्हें रोका नहीं जाएगा तब तक वे इसी आफिस में रहेंगी। परिणामस्वरूप जिला विकास अधिकारी ने माफी माँगी और फौरन चेरगाम को पंप हटाने का हुकम दिया। चेरगाम के दरबारी अब लाचार थे। उन्होंने तत्काल मोटर हटा ली। स्त्रियाँ वापिस धंधुका लौटीं। उन्होंने ग्रामवासियों को प्रोत्साहित किया कि दरबारियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। न्याय के वास्ते लड़ना ही चाहिए। इससे हर हालत में ग्रामजनों को लड़ने की प्रेरणा मिली। उन्होंने गाँव में सड़क की समस्या के समाधान के लिए, जो वर्षों से हल नहीं हो रही थी, महिलाओं को ही सहारा दिया।

(स्रोत : देवुबहन के. पंड्या : वाटर प्रोब्लम्स ऑव् भाल एंड पीपल्स सोल्युशन टु इट)

संगठनों के साथ काम करने की पद्धतियाँ ढूँढ़नी होंगी। इसका यह अर्थ हुआ कि संगठन और उनके नेताओं के पास 'महिला विकास संबंधी' दृष्टि होनी चाहिए। महिलाओं के सवालों को लेकर चिंता करें और उन पर बातें करें, यही पर्याप्त नहीं है। पर यह किस तरह कार्यरत बनता है, यह महत्त्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में सहभागी बनने हेतु महिलाओं को सक्षम बनाने को लेकर किस प्रकार के संसाधनों को विकसित किया जाता है? उदाहरणार्थ, महिलाओं को निदर्शन-प्रवास पर ले जाने से आँखें खुलती हैं और उन्हें नई जानकारी मिलती है, यही काफी नहीं है क्या? अत : संगठनों को इस मामले में किस तरह के संसाधनों की जरूरत है, यह महत्त्वपूर्ण है।

जल-संसाधन प्रबंध में पंचायत की भूमिका

संविधान में 73वां संशोधन होने से तथा भूरिया समिति की सिफारिशें स्वीकार किए जाने से भारत भर में विकासोन्मुखी मुद्दों की चर्चा में पंचायतों का मुद्दा आगे आ गया है। हालाँकि, ये सुधार सही अर्थ में व्यवहार में आएँ, यह अभी बाकी है। यहाँ पंचायत के संदर्भ में जो सवाल है वह जलस्राव मंडल या पानी-पंचायत जैसे उपभोक्ता-समूहों के साथ उनके सहयोग का है। वर्तमान नीति के अनुसार पंचायतों के पक्ष में वातावरण है, लेकिन परियोजना प्रेरित संस्थाओं के रूप में ये संस्थाएँ स्थायी स्तर पर काम कर सकेंगी या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। अनेक स्थलों पर वे पंचायतों के साथ टकराहट में उतरी दिखाई दी हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि समय-बद्ध परियोजनाओं के संचालन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं और सरकारी संगठनों ने गाँव में प्रशासनिक ढाँचे से बाहर ये संस्थाएँ खड़ी की हैं कि जिनसे अमुक परीयोजना का क्रियान्वयन सरल हो जाए। ऐसी अनेक संस्थाओं को संसाधनों के संचालन में उल्लेखनीय दक्षता दिखानी है। इसका कारण यह है कि स्वैच्छिक संस्थाओं और दूसरों के पास व्यावसायिक तथा वित्तीय संसाधन होते हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि परियोजना पूरी हो जाने के बाद अनेक संस्थाएँ अपना सौंपा हुआ काम पूरा नहीं कर सकीं। इस तरह ऐसे जो नमूने सामने हैं, उनकी नकल नहीं हो सकती क्योंकि खूब धन, सहायता तथा व्यवसायियों के सतत मार्गदर्शन में वे खड़ी हुई हैं। वैसे, कार्यशाला के अंत में ग्राम स्तर पर अधिक संस्थाओं का क्या किया जाए, इस बाबत कोई निर्णय सामने नहीं आया। उसके संबंध में मुख्यतया दो प्रकार की दलीलें थीं, जो इस प्रकार हैं :

अ. पंचायतों के विरुद्ध जल उपभोक्ता समूह : पंचायत राज की संस्थाओं को जल-प्रबंध हेतु विविध समूहों की भाँति शायद ही सहारा दिया गया है। इसी से अच्छी पंचायतों के उदाहरण बहुत कम हैं। पंचायतों के विरुद्ध तर्क है कि वे भ्रष्ट, राजकीय रीति से अनियंत्रित और आम तौर से नौकरशाही का ही विस्तार हैं। यह बात सच है कि अनेक ग्राम-पंचायतों पर प्रभावी समूहों और समुदायों ने कब्जा किया है, और जिनको इनकी जरूरत है, उन तक लाभों को पहुँचाने से रोक दिया है। साथ ही साथ, अनेक परीयोजना - प्रेरित संस्थाएँ भी इन्हीं समस्याओं से पीड़ित हैं। जब स्वैच्छिक संस्थाओं का सहारा समाप्त हो जाता है तब तो विशेष रूप से ऐसा होता है। ऐसा कंइ बार देखने में आया है कि वृक्ष-उत्पादक सहकारी मंडली अथवा वन-उत्पादन सहकारी मंडली आदि चालू संस्थाएँ समग्र समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हों, यह जरूरी नहीं, और वास्तविक उपभोक्ता उनकी संचालन-व्यवस्था से बाहर ही रह जाते हैं। समतावादी, महिलाओं के प्रति भेदभाव न रखने वाली तथा पारदर्शी संस्था संबंधी बातें तब निरर्थक बन जाती हैं, जब स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा सहारा पाने वाली संस्थाएँ और दूसरे ग्रामवासी सत्ता के वर्तमान ढाँचे को चुनौती नहीं देते और उनमें परिवर्तन नहीं करते।

आ. संस्थाओं की बहुलता : पंचायतें प्रशासनिक संस्थाएँ हैं। जल-संसाधन के मामले में उनका कार्यक्षेत्र न भी आए। पंचायतों के कार्यक्षेत्र और जल-प्रबंधन संस्था के कार्यक्षेत्र के बीच कोई सम्बंध नहीं। अत : यथासंभव जल-प्रबंधन के लिए समुदाय-आधारित संगठन होना चाहिए। पंचायतें विघटनकारी वृत्ति भी धारण करती है, यानी इनके कई सदस्यों को इन संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, पर पंचायत इन सबका संचालन करे, यह मुश्किल है। यह एक राजकीय संस्था है और इसका काम शासन करना है। यह आंशिक दृष्टि से पक्षपाती संगठन है और इसका मुख्य काम प्रशासन है। गाँव में कितनी संस्थाएँ होनी चाहिए, यह तो ग्राम-वासी ही तय करें। लोकतंत्र में एक से अधिक संस्थाएँ होनी चाहिए। संस्थाओं बहुलता को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।

ग्राम सभा के बारे में एक भय प्रचलित है। आजकल गाँव गैर-राजकीय नहीं रहे। ग्रामसभा में दो या अधिक धड़े होते हैं। मुद्दा यह है कि ग्रामसभा भलीभाँति जानकारीपूर्ण होनी चाहिए। ग्रामसभा जानकारीयुक्त हो तथा संतुलित रीति से निर्णय ले, क्या एसी व्यवस्था अथवा संस्थाएँ हैं? कई बार ग्राम सभा में मुद्दों के गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता, पर किसी ने कहा है और किसी ने विरोध किया है, इस कारण से किया जाता है। ग्राम सभा के बारे में प्रत्येक व्यक्ति क्या सोचता है, इस बारे में चर्चा किए जाने की जरूरत है।

जल संसाधन प्रबंधन का अभिगम

ऐसा व्यापक रीति से स्वीकार किया गया है कि जलस्राव-संचालन या जलस्राव-आधारित विकास एक व्यापक अभिगम है, जिसमें भूमि, जल, वन जैसे स्थूल प्राकृतिक संसाधनों का विकास और उनका संचालन किया जाता है। यानी जलस्राव-संचालन का अभिगम विशाल प्रक्रिया का भाग है जिसमें वे जल-प्रबंध-संबंधी सवालों की चर्चा कर सकते हैं। वैसे, जब भी इस अभिगम की चर्चा होती है, तब कई प्रश्न खड़े होते है, जो इस प्रकार हैं :

अ. जल संसाधन प्रबंध का समग्रलक्ष्यी विरुद्ध टेक्नीकल अभिगम : संकलित अभिगम का बहुत पक्ष लिया जाता है पर यह जलस्राव-विकास मे टेक्नीकल या वैज्ञानिक अभिगम की कीमत पर नहीं किया जाता। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहाँ समुचित टेक्नीकल अध्ययन कराये बिना कामचलाऊ स्तर पर काम कराया गया, परिणामतः पेचीदगी बढ़ी है। जल की उपलब्धि जैसे जलस्राव के टेक्नीकल पहलुओं का मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण है, अन्यथा ऊपर के और नीचे के लोगों के बीच, बड़ों और छोटों के बीच संघर्ष हो सकता है। इस तरह अचींती समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। सवाल यह है कि जीवन-निर्वाह के प्रश्न को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के रूप में जलस्राव के विकास में देखने के साथ-साथ समग्रलक्ष्यी अभिगम अपनाना चाहिए। इसमें सिर्फ पानी का मुद्दा ही नहीं है, वरन् दूसरी अनेक जरूरतें हैं जो इसमें शामिल हैं। अत : संकलित रीति से आयोजन करते समय समय, शक्ति एवं धन भी टेक्नीकल पहलू का ध्यान रखने हेतु जरूरी हो जाता है, ताकि समग्रलक्ष्यी आयोजन हो सके। अत : ये बातें परस्पर विरोधी नहीं हैं।

आ. माँग का संचालन : जलस्राव-विकास की योजना बनाते समय माँग का संचालन करने का भी मुद्दा उभर रहा है। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि आयोजन वर्तमान माँग के लिए होता है या भावी माँग के लिए होता है। फिर, माँग समय-समय पर बदलती है और संसाधनों की प्राप्ति के अनुसार बदलती है। लोगों की माँग संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार बदलती है। जल-संसाधन विकसित होते हैं कि तत्काल पानी की माँग और लोगों की आकांक्षाएँ बदल जाती हैं। संसाधन के लिए आयोजन की शुरूआत वर्तमान प्राप्ति और जरूरत की कूंत की पड़ताल में करनी होती है। उन संसाधनों को बढ़ाने और विकसित करने के मौके कितने हैं, यह भी देखना पड़ता है। इसके लिए विविध पद्धतियाँ हैं और उनमें से एक जैविक सामग्री आधारीत माँग को देखने की है, अथवा जरूरत की कूंत करने की है। इसमें पानी को इकाईवार कितनी जैविक सामग्री (बायोमास) उत्पन्न हो सकती है, उसका परीमाण मापा जाता है। फिर, एक परिवार को कितना लघुतम पानी मिलना चाहिए, यह तय किया जाता है। उसमें पीने का पानी, घरेलू उपयोग का पानी, जैविक सामग्री का उत्पादन तथा नगदी आमदनी मिलती रहे, ऐसा उत्पादन करने हेतु जरूरी पानी का समावेश होता है। समूह ने इस बात पर बल दिया कि मांग कितनी है, यह जानना और आपूर्ति के साथ उसका मेल किस तरह बैठता है, यह देखना।

इ. विकेंन्द्रित आयोजन : विकेंन्द्रित आयोजन के विषय में भी खूब चर्चा हुई। विकेंन्द्रित तथा सूक्ष्मस्तरीय आयोजन पर बल दिया गया परंतु नदी के पाट के व्यापक परिप्रेक्ष्य में वह होना चाहिए। इस तरह मूलतः तो यह नदी आधारित आयोजन होगा कि जिसमें जलस्राव नक्की किया जाएगा। उदाहरणार्थ, नर्मदा के पाट में तथा साबरमती के पाट में मिलने वाले पानी को प्रति व्यक्ति प्राप्ति अलग-अलग होती है। जल-संसाधन-प्रबंध जल की लघुतम जरूरत के साथ संबंधित होना चाहिए और फिर व्यापक एवं सूक्ष्म स्तरीय आयोजन का मिश्रण करना चाहिए। स्थानीय स्तर पर पानी को लघुतम जरुरत का स्तर देखना पड़ता है और वह व्यापक स्तर के पानी के आयोजन के साथ मेल खाने वाला होना चाहिए। केंद्रीयकरण के संदर्भ में यों बताया गया कि व्यवस्था लोगों

को उन पर अवलंबित बनाती है और वह स्थानीय व्यवस्था की कीमत पर किया जाता है। कई उदाहरण टांके की परंपरागत व्यवस्था के हैं। पर गाँव में ज्यों ही बाहर का पानी आता है कि तत्काल स्थानीय व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है। यह मुद्दा ध्यान में लाना चाहिए। इसका समावेश सूक्ष्म स्तरीय आयोजन करते समय कराना चाहिए।

ई. *भूमि और जल के अधिकार अलग-अलग करने :* जल-प्रबंधन की परियोजनाओं में भूमि और जल के अधिकारों को अलग-अलग करने का एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। जल-संबंधी संस्थाओं की सदस्यता मुख्य रूप से भूमि रखने वाले लोगों के पास ही होती है और इस प्रक्रिया में महिलाओं को निकाल दिया जाता है, ऐसा देखा गया है। उदाहरणार्थ, सहभागी सिंचाई संचालन (पी.आई.एम.) की परियोजना में जिसके पास जमीन होती है उसी को सदस्यता मिलती है। पानी के अधिकार को यहाँ जमीन के अधिकार के साथ जोड़ दिया जाता है। इसी रीति से जमीन पानी का अधिकार तय करती है। इस पद्धति में स्त्रियाँ, दलित और भूमिहीन जल-संसाधन प्राप्त करने से तथा उसकी प्रबंध-प्रक्रिया से बाहर रह जाते हैं। महाराष्ट्र में पुणे में पानी-पंचायत की व्यवस्था में जमीन और पानी के अधिकारों को अलग किया गया है। इन पानी-पंचायत के इलाकों में पानी के अधिकारों को जीवन-निर्वाह की जरूरतों के साथ जोड़ा गया है। भूमि और जल दोनों स्वतंत्र संसाधन हैं, और बहुत से मानते हैं कि इन्हें संयुक्त रीति से नहीं देखा जाना चाहिए।

महाराष्ट्र में मुक्ति-संघर्ष आंदोलन तथा कृष्णा के तट के बल्लाई राजा बाँधों में यही सिद्धांत अपनाया गया है और इसी मुद्दे पर लोगों को संगठित किया गया है। इसमें से एक अन्य बात यह फलित होती है कि जमीन का स्वामित्व स्त्रियों और पुरुषों का संयुक्त होना चाहिए। इस तरह मात्र स्त्रियों अथवा अन्य सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए जल-प्रबंधन-समितियों में आरक्षण रखने से स्त्रियाँ सक्षम नहीं बनतीं। इसके लिए भूमि और जल के अधिकार अलग करने पड़ते हैं तथा इस तरह परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना पड़ता है।

पृष्ठ 30 का शेष भाग

उपर्युक्त नौ गाँवों में तालाब, चेकडेम, शोषखड्डे आदि के रुपए 1,35,90,830 के काम में स्थानीय ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय है। यदि सरकार की स्वीकृति मिले तो श्री प्रेमजीभाई पटेल जामकंडोरणा के बाकी के 80 गाँवों में भी इस तरह दृष्टांतरूपी काम करने के लिए कटिबद्ध हो जाएँ। हमारे देश में कुल भूमि के 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में याने 1750 लाख हेक्टेयर भूमि का कटाव हर साल होता है। हर साल लगभग 5330 लाख टन माटी का कटाव होता है और उस माटी से 29 टका माटी समुद्र में बह जाती है। माटी की तरह बरसात का पानी भी नदी-नालों की मार्फत समुद्र में चला जाता है।

हमारे गुजरात में भी जमीन और पानी का बड़े पैमाने पर कटाव होता है। ऐसे में कटाव को रोकने तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावशाली संग्रह करके उपयोग करने हेतु भारत सरकार की जलस्राव विस्तार विकास योजना अत्यंत फलदायी सिद्ध हुई है। 'वृक्ष-प्रेम-सेवा ट्रस्ट' के श्री प्रेमजीभाई पटेल ने राजकोट जिले के जामकंडोरणा तहसील के कुल 47 गाँवों की 56,068 हेक्टेयर जमीन को जलस्राव विस्तार विकास योजना के अधीन घेर लाने का आह्वान किया है। हाल में वॉटरशेड योजना के अंतर्गत 1 हेक्टेयर जमीन में पानी का प्रभावशाली संग्रह करने का खर्च 4500 रु. आता है, जो सरकार देती है। श्री प्रेमजीभाई के मतानुसार 4500 रु. के बजाय 3000 रु. सरकार दे तो बाकी के 1500 रु. लाभार्थी किसानों से प्राप्त करने का उन्हें विश्वास प्राप्त है। इस तरह, सरकार, स्वैच्छिक संस्था और लाभार्थी किसानों की भागीदारी से सौराष्ट्र का पानी का प्राणप्रश्न हल किया जा सकता है। अब इन कामों के द्वारा पानी की समस्या के समाधान के लिए सरकार कितनी कटिबद्ध है, यह देखना शेष है।

संपर्क सूत्र : श्री पंकजभाई दवे, आगाखान ग्राम समर्थन कार्यक्रम (भारत), राजसोभाग आश्रम के पास, सायला, तहसील सायला जि. सुरेंद्रनगर; श्री प्रेमजीभाई पटेल, वृक्ष-प्रेम सेवा ट्रस्ट, राजमार्ग, फर्नीचर गली, उपलेटा, जिला राजकोट

भारत में शहरी गरीबों और सफाई की राजनीति

आस्ट्रेलिया की ला ट्रोब युनिवर्सिटी के राजनीतिविज्ञान विभाग में पीएच.डी. करते **सुसान चेप्लिन** द्वारा लिखे गए 'सिटीझ, स्युअर्स एंड पोवर्टीः इंडियाज पोलिटिक्स ऑव सेनिटेशन' नामक लेख से यह लेख तैयार किया गया है। इस लेख में भारत में शहरों की स्थिति और शहरी गरीबों के संदर्भ में स्थानीय सरकारों के उत्तरदायित्व की विस्तार से चर्चा की गई है तथा लोक-भागीदारी के संभावित समाधान की ओर संकेत किया गया है।

प्रस्तावना

साम्राज्यवादी देशों के चंगुल से मुक्त हुए अन्य देशों के शहरों की भाँति ही भारत के शहर 20वीं सदी के अंत में अनेक पर्यावरणीय समस्याओं से प्रपीड़ित हैं। जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे ये समस्याएँ तीव्र होती जा रही हैं। वायु-प्रदूषण और जहरीले कचरे की समस्याएँ जब प्रजा के ध्यान में लाई जाती हैं तब सरकारें प्रासंगिक स्तर पर उनका समाधान लाती है, पर इन समस्याओं में से सबसे गंभीर समस्या गंदगी भरे वातावरण में जीने और काम करने की स्थिति है तथा इसकी सामान्यतया उपेक्षा कर दी जाती है। जब रोगों के फैलने का भय व्याप्त होता है तभी सरकारी सत्ताधिकारी मध्यस्थता करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विरुद्ध खतरे पर अंकुश लगाते हैं। सन् 1994 में जब सूरत में प्लेग फूटा तो लोग छूत लगने के भय से भाग छूटे थे। भारत के और विदेशों के माध्यमों द्वारा जब इस घटना को प्रकाश में लाया गया, तब सरकार के विविध स्तरों ने उसमें मध्यस्थता की थी।

भारत के शहरों की आज की पर्यावरणीय स्थिति 19वीं सदी के ब्रिटिश एवं यूरोपीय शहरों की स्थिति से अधिकांशतः मेल खाती है। उस समय के लिवरपूल और मैंचेस्टर गंदे, कचरे के ढेर से अंटे, धूल भरे, बिना फुटपाथ और बिना गटरवाले थे। आज के मुम्बई, दिल्ली और कलकत्ता की यही स्थिति है। औद्योगिक क्रांति ने ग्रामीण कामगरों को शहरों की तरफ स्थलांतर करने को प्रेरित किया है। कारखाने बढ़ने के साथ ही शहरों की पर्यावरणीय समस्याएँ बढ़ती गई हैं। ब्रिटेन में 19वीं सदी में इस परिस्थिति में तभी बदलाव आया, जब जरूरी राजकीय परिवर्तन हुआ, विज्ञान और अनियांत्रिकी में प्रगति हुई और असंगठित मजदूरों ने भी संगठित होकर वर्तमान स्थिति के सामने विरोध की आवाज उठाई।

इसी तरह से भारत में शहरीकरण हुआ है। गरीब ग्रामीण जन रोजगार की तलाश में शहरों में आए हैं। घर के अभाव ने झोंपड़पट्टी की रचना की है और वे लोग जिस कारखाने में काम करते हैं, उसने आसपास के पर्यावरण को प्रदूषित किया है। सफाई और पानी की अपूरणीय आपूर्ति की अधकचरी व्यवस्था के कारण नदियाँ कचरापात्र बन गई हैं और भूमिगत जल भी प्रदूषित हुआ है। हैजे और आंत्रज्वर की महामारी जब-तब फूट पड़ती है। फिर, उल्टी-दस्तों, पेचिश और मलेरिया जैसे रोगों का उपद्रव भी बहुत बढ़ गया है। झोंपड़पट्टी में रहने वालों और गरीबों के स्वास्थ्य पर इन लोगों का लंबी अवधि का विपरीत प्रभाव पड़ता है।

भारत के शहरों में पर्यावरण की स्थिति ऐसी होने का एक कारण यह है कि राज्य के द्वारा सफाई की जो सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, उनका लाभ सिर्फ शहरी मध्यम वर्ग ही उठा रहा है। सफाई की सुविधाओं में सुधार लाने में वह रुचि नहीं लेता और बहुत बड़ा वर्ग सेवाओं के लाभ से वंचित रह जाता है। फिर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण विषयक नीतियाँ अधिकतर संकट पैदा होने पर उनके उपाय ढूँढ़ने तक सीमित हो जाती हैं, लम्बी अवधि के प्रभावशाली आयोजन और क्रियान्वयन उनमें नहीं होते। अतएव सफाई के क्षेत्र में सुधार हेतु नए ही अभिगम की आवश्यकता है। भारत में मध्यम वर्ग शहरी सेवाओं का तमाम लाभ ले लेता है, इसका कारण है राज्य का स्वरूप और

समाज के साथ उसका संबंध। स्वतंत्रता के बाद ये स्वरूप और संबंध स्थापित हुए हैं। आधुनिक राज्य सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का साधन बनने की बजाय भारत में वह कांग्रेस-पक्ष के वर्चस्व वाला बन गया और उसने सर्व-सम्मति के सिद्धांत का उपयोग किया तथा ऐक एसा राजकीय शासन खड़ा किया, जिसमें विभिन्न वर्गों का जुड़ाव हुआ। उसमें बुर्जुवा वर्ग, जमींदार, धनी किसान और व्यवसायी समूह थे। वे भारतीय समाज में अपनी स्थिति बनाए रखने को प्रयत्नशील थे। अतः उन्होंने सामाजिक बदलाव लाने की राज्य की क्षमता पर विपरीत प्रभाव डाला। इससे भारत में राज्य कमजोर पड़ा। उसका उद्देश्य सुधारवादी रहा, सामाजिक परिवर्तन का रहा। राज्य उनके जुड़ाव पर आधारित था, अतः उसने उनका सहारा पाने के लिए उनके हितों को सहेजे रखने का काम किया। अतएव मध्यम वर्ग ने शहरी सेवाओं का सम्पूर्ण लाभ उठाया और समाज के बड़े वर्ग को उसका लाभ मिला ही नहीं, और यह बड़ा वर्ग राज्य पर कोई दबाव भी नहीं डाल सका।

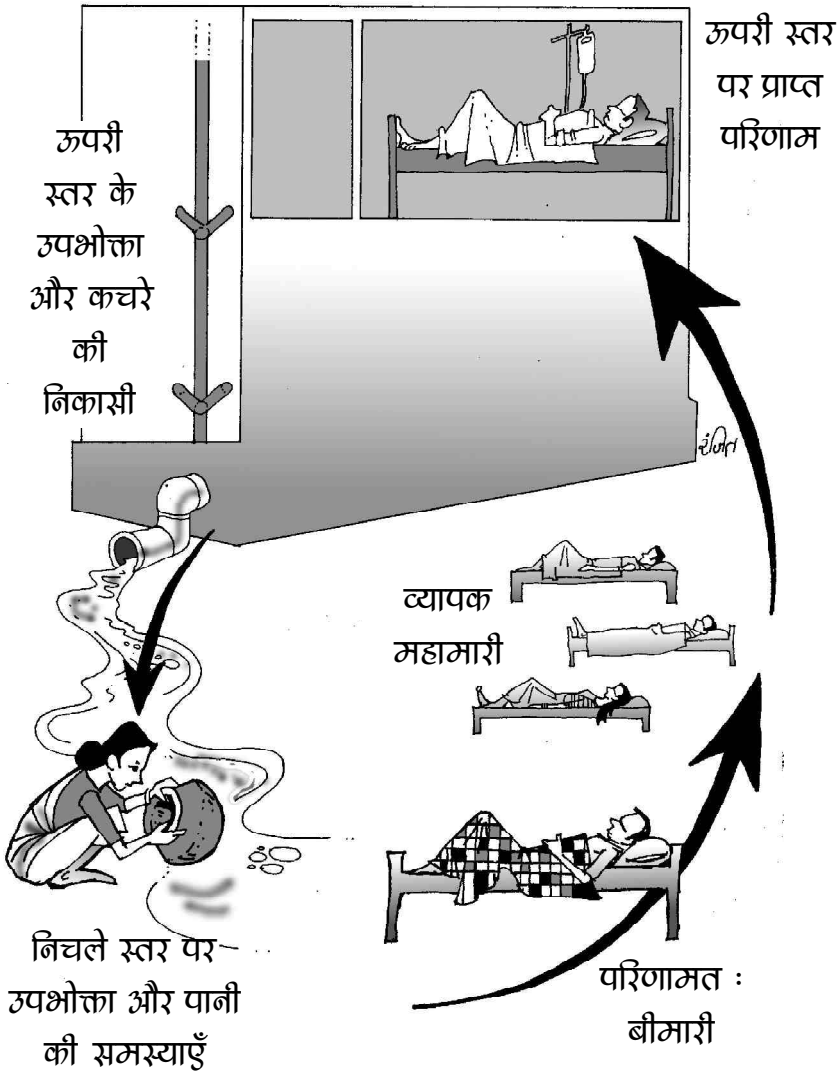

सफाईकी अवांछित व्यवस्था का विषचक्र

भारत के शहर

19वीं सदी में जो सफाई-अभियान चला, उसका भारत के लोगों पर अत्यंत मर्यादित प्रभाव रहा। हैजे की महामारी को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार ने कुछ प्रयास किए जरूर, पर अधिकांश व्यय तो फौज पर हुआ और सरकारी कर्मचारियों की स्वास्थ्य-रक्षा पर हुआ। राजकोषीय व्यय की मर्यादाओं की वजह से नगरपालिकाएँ गटर बनवाने और श्रम बचानेवाली पद्धतियाँ लागू करने पर पैसा खर्च नहीं कर सकीं। अंग्रेज सरकार ने कचरे और मलमूत्र की निकासी के लिए मानवीय-श्रम पर ही आधार रखा। अत : माथे पर मैला ढोने की प्रथा का अंत करने के लिए अनेक बार की गई विनती पर उसने ध्यान नहीं दिया। जब-जब भी इस पद्धति की कार्यक्षमता को लेकर एतराज उठाया गया तभी-तभी अंग्रेज सरकार ने भंगियों की कार्य-अक्षमता को लेकर एतराज उठाया। स्वतंत्र भारत में भी यह प्रथा जारी रही।

सफाई-संबंधी अच्छी व्यवस्था भारत में शुरू नहीं की जा सकी, इसके तीन कारण हैं : पहला, 19वीं सदी में ब्रिटेन की भाँति स्थानीय सरकारें राजकीय एवं प्रशासनिक दृष्टि से अक्षम थी। वे अंधाधुंध और आयोजन-विहीन होनेवाले शहरी विकास के साथ जुड़ी समस्याओं का हल करने की स्थिति में नहीं थीं। भ्रष्टाचार और कार्यक्षमता-विहीनता तो थी ही। इससे कहीं तो शहरी स्थानीय सरकारें नितांत अनुपयोगी बन गईं परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग उपनगरों में रहने चला गया और उसने इस क्षेत्र में कोई रुचि नहीं ली। शहरों की इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्थिति सुधरनी ही चाहिए और इसके लिए सम्पत्ति-कर तथा आयकर की नियमित उगाही

महत्त्वपूर्ण बन जाती है। स्थानीय सरकारों में शहरी गरीबों की राजकीय भागीदारी भी थी। फिर भी स्थानीय सरकारों पर मध्यम वर्ग का ही वर्चस्व रहा और शहरी गरीब अंचलों की दशा बिगड़ती ही रही।

दूसरा कारण यह था कि नीचे वाले स्तर से भी दबाव का अभाव था। भारत में मजदूर-संघ ज्यादातर संगठित क्षेत्र के हितों को ही ध्यान में रखते रहे। वे इस समय तक सिर्फ 8 प्रतिशत के लगभग अनुपात ही कुल मजदूर वर्ग में रखते हैं। शेष 92 प्रतिशत तो लघु औद्योगिक इकाइयों, खेती तथा स्वरोजगार का क्षेत्र है। वे अरक्षित कामगर हैं और रोजगार में सुरक्षा धारण नहीं करते। महिलाएँ, बालक, स्थानांतरित बाल-मजदूर तथा बेगारी मजदूर भी इस असंगठित क्षेत्र के भाग हैं। वे कोई सामाजिक समूह नहीं रखते, अतः उनकी तरफ से सामाजिक कदमों की संभावना बहुत कम रहती है। ऐसे में राज्य द्वारा जो आधारभूत सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, उनमें से उनको निकाल दिया जाता है।

तीसरे, आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान तथा सिविल इंजीनियरी क्षेत्र में जो विकास हुआ और 19वीं सदी में ब्रिटेन में स्वच्छता के क्षेत्र में तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दिया था, उसका भारत में प्रभाव बहुत कम रहा। एंटीबायोटिक्स और जंतुनाशकोंने झोंपड़पट्टी क्षेत्रों में महामारियों को नियंत्रित किया लेकिन मध्यम वर्ग में इस बाबत जागृति नहीं आई। अगर गरीबों के जीवन की दशा सुधरेगी तो उससे सम्पूर्ण समाज को लाभ प्राप्त होगा, ऐसी जागृति मध्यमवर्ग में नहीं आई। फिर, पश्चिम के विज्ञान और टेक्नोलोजी पर भारत की सरकार ने अत्यधिक आधार रखते हुए सफाई-संबंधी वैकल्पिक अभिगमों पर कम ध्यान दिया और अभी तक इस और कम से कम सहयोग दिया जा रहा है।

स्थानीय सरकारों की भूमिका

भारत में नगरपालिकाएँ अधिकांशतः संस्थानवादी सरकार की बचौती है। सन् 1992 तक इनमें लगभग कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। संविधान के 74वें संशोधन तक नगरपालिकाओं के ढाँचे में कोई बदलाव नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्हें सरकारी रीति से उपेक्षित किया गया और वित्तीय तथा राजकीय मामलों में वे राज्य सरकारों पर आधारित हो गईं। नगरपालिकाओं के कार्यों में राज्य सरकारों द्वारा दखलंदाजी करने पर नगरपालिकाएं और भी ज्यादा किनारें फेंक दी गईं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई, जल-आपूर्ति और गटर-व्यवस्था, सड़कों और सार्वजनिक निर्माणकार्य तथा प्राथमिक शिक्षा जैसे कार्य राज्य सरकारों द्वारा अपने हाथ में लेने से यह परिस्थिति जन्मी है। इसके अलावा, राज्य सरकारों ने एक ही प्रयोजन हेतु संस्थाएँ स्थापित करके तथा शहरी विकास प्राधिकरण स्थापित करके नगरपालिकाओं के काम ही किए हैं। परंतु ये प्राधिकरण अधिकारी व्यवस्था हैं और लोगों के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं। वे अपने ढंग से व्यवहार करते हैं और राज्य स्तरीय राजनीति से ग्रस्त होते हैं। ये शहरी विकास प्राधिकरण मुख्य रूप से ढाँचागत सुविधाएँ जुटाते हैं। जलापूर्ति, सफाई की सुविधाएँ तथा अन्य शहरी सेवाएँ आदि उपलब्ध करते हैं तथा इनकी देखभाल का काम वे नगरपालिकाओं को सौंप देते हैं।

नगरपालिकाओं के पास पैसा होता नहीं तथा टेक्नीकल स्टाफ का अभाव होता है और कार्य-सक्षम कर्मचारी भी नहीं होते। ऐसे में ये ढाँचागत सुविधाएँ नहीं जुटा सकतीं।

फिर, चुनी हुई स्थानीय सरकारों को कुप्रबंध के बहाने राज्य सरकारें भंग करती रही हैं। सन् 1997 तक दिल्ली में 14 वर्षों तक स्थानीय स्तर पर चुनी हुई सरकार ही नहीं थी। 74वें संविधान संशोधन ने अब नियमित रूप से चुनाव करने की अनिवार्यता लादी है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा नगरपालिकाएँ चलाई जाती रही हैं, इसकी वजह से लोगों में स्थानीय सरकार के प्रति अपनत्व का भाव नहीं जागता, नियुक्त किए गए अधिकारियों में उत्तरदायित्व का अभाव होता है, और इस वजह से कार्य-क्षमता-विहीन और भ्रष्ट नौकरशाही विकसित होती है और शहरी सेवाओं का एक समान बँटवारा नहीं होता।

मध्यम वर्ग तथा राज्य के बीच के मधुर संबंधों के परिणामस्वरूप तुलनात्मक रीति से, अधिक धनीमानी इलाकों में नगरपालिका का प्रतिव्यक्ति निवेश बढ़ा है। सन् 1983 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

संगठित क्षेत्र के मजदूर मंडल

असंगठित क्षेत्र के मजदूर मंडल

ने बताया था कि उच्च आयवर्ग में 50 प्रतिशत लोग फ्लश शौचालय रखते थे और गटर के साथ उन्हें जोड़ रखा था। स्थानीय अधिकारी ही इस व्यवस्था को संभालते थे। उपभोग करने वालों से बहुत कम रकम वसूल की जाती थी। इस तरह उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग को यह सब बहुत ज्यादा सब्सिडी के साथ प्रदान की जाती है। उससे ठीक विपरीत 40 प्रतिशत गरीबों के पास ही शौचालय थे, जिनमें से 70 प्रतिशत तो अन्य लोगों के साथ सामूहिक लोगों की व्यवस्था वाले थे।

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार 33.9 प्रतिशत शहरी बस्ती के पास शौचालय की सुविधा है और मात्र 38.3 प्रतिशत ही हरिजन परिवार यह सुविधा रखते हैं। अगर पेयजल, बिजली और शौचालय - इन तीनों सुविधाओं की एकसाथ गणना की जाए तो मात्र 50.5 प्रतिशत शहरी जनों को ही यह सुविधा मिलती है और फकत 32.3 प्रतिशत हरिजन परिवारों को ही यह सुविधा मिलती है। वास्तविकता तो शायद इन आंकड़ों से भी कहीं ज्यादा गंभीर है। कई बार तो असंख्य परिवारों के बीच एक ही शौचालय होता है।

सन् 1990 का दिल्ली का एक सर्वेक्षण बताता है कि 1100 झोंपड़पट्टियों के 4.80 लाख परिवारों के बीच सिर्फ 160 शौचालय और 110 मोबाइल टॉयलेट वान थे। झोंपड़पट्टी में शौचालय की सुविधा न होने के कारण वहाँ के निवासियों को खुली जगह का उपयोग करना पड़ता है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों और उनके बीच कई बार टकराहट भी होती है।

जो कुछ संसाधन हैं, उनके लाभ उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग उठा लेते हैं, जिससे जल आपूर्ति, सफाई और गरीबी-निवारण के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय सरकारें कमजोर ठहरी हैं। भारत सरकार ने आधारभूत सेवाकार्य शुरू किया, जिसमें भारत सरकार, युनिसेफ और राज्य सरकारों ने धन दिया। सन् 1985 में यह कार्यक्रम शुरू हुआ और प्रायोगिक रूप में कुछ शहरों में उसे क्रियान्वित किया गया। उसका उद्देश्य शहरी निर्धनों के जीवन की गुणवत्ता सुधारना था। महिलाओं और बालकों हेतु सफाई एवं पानी की सुविधा उपलब्ध करने वाले इस कार्यक्रम में समुदाय की भागीदारी है। सन् 1990 में शहरीकरण वाले राष्ट्रीय आयोग ने इस कार्यक्रम की शक्ति को पहचाना था और उसने पूरे देश में यह कार्यक्रम चलाने की सिफारिश की थी।

इस कार्यक्रम को गरीबों हेतु शहरी मूलभूत सेवा कार्यक्रम (यू.बी.एस.पी.) नाम दिया गया। सन् 1990 के मध्य तक 245 शहरों में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन हुआ। अनेक झोंपड़पट्टियों में उससे भौतिक सेवाएँ सुधरीं। फिर, महिलाओं ने भी महसूस किया कि इस कार्यक्रम द्वारा उनसे जुड़ी समस्याओं को हल

करने हेतु वे कुछ कर सकती हैं। पर विविध विकासोन्मुखी विभागों की सेवाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग के अभाव से इस कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो सका। सन् 1995में यह कार्यक्रम बंद कर दिया गया और उसकी जगह स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई।

सफाई कर्मचारियों की काम की दशा सुधारने के लिए इन कार्यक्रमों तथा योजनाओं में प्रयास किया गया है। शहरी इलाकों में वे ही सफाई की सुविधाएँ पूरी करते हैं। मुम्बई प्रांत की सरकार ने 1949 में सबसे पहले इनकी दशा सुधारने तथा सिर पर मैला ढोने की प्रथा दूर करने की योजना शुरू की थी। सन् 1952 में तब सफाई कर्मचारियों की स्थिति के लिए एक छानबीन समिति नियुक्त की गई थी।

सन् 1961 में भी एक जाँच समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ये योजनाएँ निष्फल रही हैं और भारत के अधिकांश भागों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा अब भी जारी है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन लोगों को अस्पृश्य माना गया है। भारतीय समाज में वे एक ओर फेंक दिए गए हैं और मध्यम वर्ग ने इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कोई रुचि नहीं ली। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास की सुविधाएँ तथा अन्य सेवाओं के लाभ वे नहीं ले सके और अन्य अस्पृश्य तथा हरिजन साथ मिलकर संघ भी नहीं बना सके। सिर्फ हड़ताल ही उनके पास एक महत्त्वपूर्ण साधन रहा है, जिससे वेतन और काम की स्थिति सुधारने में सीमित सफलता ही मिली है।

भारत में अब भी महामारी का अस्तित्व है। पर मध्यम वर्ग को उसका खतरा नहीं, क्यांकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और टेक्नोलोजी से वे रक्षा करते आए हैं। जंतुनाशकों का छिड़काव किया जाता है और इस तरह रोगों को बढ़ते या फैलने से रोका जाता है। हैजे की महामारी भी एंटीबायोटिक्स तथा मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा (ओ.आर.टी.) द्वारा रुकी है। इस तरह महामारी की जोखिम घटी है और स्वास्थ्य संबंधी विपरीत प्रभाव घटा है जिससे मध्यम वर्ग गरीबों के प्रति लापरवाह हो गया। वास्तव में, गरीबों की कीमत पर ही उन्होंने शहरी सेवाएँ प्राप्त कीं। इसके परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग सरकार पर प्रतिरोधक स्वास्थ्य सेवाएँ क्रियान्वित करने हेतु दबाव नहीं डालता और इसके बदले में सरकारें महामारी के फैलने पर आपात प्रबंध करने पर ही ध्यान देती हैं।

सन् 1988 में दिल्ली में हैजा और उल्टी-दस्तों की महामारी फैली, तभी नगर के कुछ रिहायशी इलाकों और झोंपड़पट्टियों के निवासियों में जागृति आई। सबसे पहले तो कामचलाऊ कदम उठाए गए और उनमें भी विविध संस्थाओं के बीच सहयोग का अभाव था। प्रधानमंत्री के देखने के बाद ही हैजे के टीकाकरण की कार्यलक्ष्यी-योजना बनाई गई। कचरा दूर हटाने, गटरों की सफाई कराने तथा फुटपाथ बनवाने आदि बातों का उसमें समावेश था। इन कदमों ने तत्काल थोड़ी राहत दी, पर उससे वास्तव में लंबी अवधि के लिए समस्या का समाधान नहीं हुआ।

सन् 1994 के सितंबर-अक्टूबर माह में सूरत में जब प्लेग फूटा था तब नगर परिषद्, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, वह भी आपात स्थिति के समाधान की थी। महामारी फूटेगी, ऐसी अग्रिम चेतावनी दिए जाने के बाद भी अधिकारियों ने उसकी अवहेलना की थी। अनेक इलाकों में जब प्लेग फैल गया तब नगरपरिषद के पास कीटनाशकों के छिड़काव और कूड़ा-करकट हटाने के लिए पर्याप्त कर्मचारी तक नहीं थे।

फिर, दवाओं के वितरण की कोई व्यवस्था नहीं थी। संख्यातीत नागरिक शहर छोड़ कर भाग गए। जब म्युनिसिपल कमिश्नर यह कह रहे थे कि 8 आदमी मारे गए हैं, तब कलेक्टर यह कह रहे थे कि 17 आदमी मारे गए हैं। राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सचिव और मुख्य मंत्री के बीच ऐसा ही समाचार-संकलन का अभाव था। परिस्थिति नियंत्रण में है जब यों कहा जा रहा था, तब लोगों का सार्वजनिक सत्ताधिकारियों पर से विश्वास उठ रहा था। इसका एक कारण यह भी था कि 1993 में सूरत नगरपरिषद सुपरलीड कराने के पश्चात् वहाँ चुनाव भी नहीं कराए गए थे। महामारी का सामना करने में क्या कोर-कसर है और कौन-सी पद्धति ज्यादा सही है, इस पर ध्यान ही नहीं दिया

गया और पश्चिम की तकनीक पर अधिक विश्वास प्रकट किया गया था। सफाई की सुविधा मात्र 28 प्रतिशत लोगों को प्राप्त है, तब इसका अर्थ यह है कि 70 करोड़ लोगों के पास अपने शौचालय नहीं।

सन् 1996 को मानव-आवाज संबंधी संयुक्त राष्ट्रों की एक परिषद की रिपोर्ट में बताया गया है कि समग्र देश में पानी के फ्लश शौचालयों की व्यवस्था में रु. 728 अरब का खर्च होता है, सेप्टिक सिस्टम बनवाने में रू. 416 अरब खर्च होता है और गड्ढे वाली व्यवस्था में 250 करोड़ रु. का खर्च होता है। ये आँकड़े सिर्फ धन का खर्च बताते हैं उनकी सुरक्षा आवर्तक तथा टूट-फूट के खर्च का इसमें समावेश नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि सफाई व्यवस्था के लिए पानी कहाँ से आएगा? 20 करोड़ शौचालयों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए हिमालय में एक और बाँध बाँधना पड़ेगा।

उपसंहार

भारत में शहरों की पर्यावरण-दशा बिगड़ रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि मध्यम वर्ग तमाम शहरी सेवाओं का लगभग सारा लाभ ले लेता है। मध्यम वर्ग में इस समस्या के बारे में जागृति आने पर राज्य के संसाधनों का लाभ वही उठाते हैं। वे अब महामारी और भयानक रोगों की बजाय रास्तों पर भीड़भाड़ और वायु-प्रदूषण से अधिक चिंतित हैं। अंग्रेज महारानी ने जब दिल्ली को गंदा शहर कहा तो स्वच्छता-अभियान शुरू किया गया, पर लाखों रुपयों के उस खर्च का प्रभाव दो-एक दिन ही रहा। ऐसी प्रतिक्रिया यह बताती है कि सरकार पर्यावरणीय समस्या के प्रति कैसा अभिगम रखती है। उसकी नीति आग लगने पर कुआँ खोदने की रही है। वह ऐसी संस्थागत-व्यवस्था खड़ी नहीं करती, जो ढाँचागत सुविधाओं की व्यवस्था करती है तथा नीतियों का सहभागी क्रियान्वयन करती है।

पर्यावरणीय समस्याओं का एक समाधान प्रतिबद्ध अधिकारियों की तरफ से मिला है। मई 1995में सूरत के नए प्रशासक ए. आर. राव ने सूरत की शकल बदल डाली, और जो सूरत भारत में सबसे गंदे शहरों में से एक था वह सन् 1997में देश का दूसरे नंबर का सबसे स्वच्छ शहर बन गया। लोगों के समर्थन और सहभागिता ने उनके अभियान को सफल बनाया तथा उन पर आने वाले राजकीय, आर्थिक व धार्मिक दबाव को उन्होंने रोक दिया। सड़कें चौड़ी की गईं, अनधिकृत निर्माणों को तोड़ा गया, रास्तों में टपकने वाले नलों पर चार्ज लगाया गया, मार्ग में कचरा फेंकने वालों को दंडित किया गया और इसी तरह से अन्य कदम उठाए गए। झोंपड़पट्टियों में बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। इसके लिए **सुलभ** और **पर्यावरण** नामक दो स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता प्राप्त की गई। परिणामस्वरूप महामारी में 65 प्रतिशत कमी आई और उसकी वजह से गरीबों को सीधा लाभ मिला।

ऐसे प्रतिबद्ध व्यक्ति के अवलंबन का एक नकारात्मक पहलू यह है कि नए अभिगमों, पद्धतियों एवं सुझावों को संस्थागत स्वरूप प्रदान न किया जाए तो सम्पूर्ण परिवर्तन बेकार जाता है। जब राव 8-10 दिनों के लिए सूरत से बाहर थे, तब उनके सीधे निरीक्षण तले काम करने वाले अधिकारी अपनी मूल कार्य-शैली में वापिस आ गए थे। सूरत मे लोगों की भागीदारी उनमें बढ़ी नहीं थी। लोगों के विरोध के बीच दिसंबर 1997 में जब राव की बदली हुई तब मानो प्रेरक बल ही चल गया था। देश के अन्य शहरों की भाँति सूरत की मुख्य समस्या यह है कि सफाई की सुविधाओं हेतु धन कहाँ से लाया जाए और सेवाओं का समान वितरण कैसे किया जाए? आगामी सात वर्षो में जल आपूर्ति तथा सफाई की सुविधा पूरी उपलब्ध करने हेतु सूरत नगर परिषद को 1100 करोड़ रुपयों की जरूरत है। महामारी फिर से फूट न निकले, इसके लिए आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता है।

ऐसा लगता है कि भारत में सफाई की दिशा में इस तरह से सुधार हो कि असमानता की समस्या का समाधान कर सकें। 74वें संविधान संशोधन ने अनेकानेक आशाएँ जागृत की हैं। फिर, उसके परिणाम स्वरूप नगरपालिकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षित सीटें महिलाओं को बाँटी गई हैं। अतः अधिक महिलाएँ मेयर बनती हैं और हरिजन महिलाएँ भी उनमें सदस्य बनती हैं।

शेष पृष्ठ 25 पर

पानी, सफाई एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में गुजरात : दस वर्षीय स्वैच्छिक योजना

औद्योगिक दृष्टि से विकसित गुजरात और भी अधिक विकास करे इसके लिए सरकारी एवं स्वैच्छिक दोनों स्तरों से प्रयास हो रहे हैं। यहाँ **श्री हेमंतकुमार शाह** द्वारा इस लेख में स्वैच्छिक संस्थाओं ने गुजरात के सामाजिक क्षेत्र में और विशेष रूप से पानी, सफाई तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगामी 10 वर्षों में विकास करने की जो योजना निर्मित की है, उसकी संक्षिप्त प्रस्तुति की गई है। निर्धारित लक्ष्यों एवं कदमों के साथ स्वैच्छिक क्षेत्र की यह दस वर्षीया योजना, बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में सन् 2010 तक गुजरात अधिक अच्छा व समतापूर्ण बने, इससे संबंधित वास्तविक दृष्टि एवं आर्ष दृष्टि दोनों प्रस्तुत करती है और सरकारी तथा अन्य सभी हितैषियों को इस क्षेत्र में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है।

प्रस्तावना

गुजरात भारत का औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य है और नई आर्थिक नीति के 1991 के शुभारंभ के पश्चात् सीधे विदेशी निवेश आकृष्ट करने में भी गुजरात एक अग्रणी राज्य बन गया है।

गुजरात सरकार ने गुजरात ढाँचागत विकास बोर्ड द्वारा गुजरात इन्फ्रास्ट्रक्चर एजेंडा - विजन 2010 तैयार किया गया है। वह ढाँचागत सुविधाओं के विकास हेतु एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना है। इस विजन 2010 में माँग आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए नौ क्षेत्रों में निवेश का आयोजन किया गया है। ये नौ क्षेत्र हैं : ऊर्जा, बंदरगाह, औद्योगिक बस्तियाँ, वाहन-व्यवहार, शहरी ढाँचा, पानी, हवाई अड्डे, गैस ग्रिड, और सूचना तकनीकी वाहन व्यवहार क्षेत्र में सड़कों और रेलवे का समावेश होता है जबकि शहरी ढाँचागत सुविधाओं में जलापूर्ति, गटर व्यवस्था, आवासन, शहरी वाहन व्यवहार व अन्य सुविधाओं का समावेश होता है।

इन नौ क्षेत्रों में 10 वर्षों की अवधि में लगभग 383 परियोजनाओं में कुल रु. 1,16,993 करोड़ का निवेश होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है, इसमें 70 टका निवेश निजी क्षेत्र से जाएगा, एसा बताया जाता है। इस योजना में पहले ऊर्जा, बंदरगाह, औद्योगिक आवासन तथा जल आदि क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में अन्य क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इस प्रकार यह समग्र योजना ढाँचागत सुविधाओं का विकास करेगी।

राज्य के आर्थिक विकास की यह एक विशाल और महत्त्वाकांक्षी योजना है। राज्य सरकार साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में ढाँचागत सुविधाएँ विकसित करने हेतु भी प्रतिबद्ध है। इसीलिए सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'गुजरात सामाजिक ढाँचागत विकास बोर्ड' की स्थापना की है। लेकिन सचमुच राज्य सरकार सामाजिक क्षेत्र में ढाँचागत सुविधाएँ विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध है?

औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य होते हुए गुजरात को शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, पर्यावरण एवं मजदूर-कल्याण के क्षेत्र में बहुत-सा कार्य करना शेष है, यह एक हकीकत है। सन् 1992-97 की आठवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सेवाओं के लिए 3250 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया था, पर वास्तव में खर्चा मात्र 2706 करोड़ रु. का ही हुआ था। सन् 1997-2000 की नवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सेवाओं के लिए 9609 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया है। यह पंचवर्षीय योजना के कुल व्यय का लगभग तीसरे भाग जितना है। इस तरह, राज्य सरकार सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में ढाँचागत सुविधाएँ खड़ी करने में पहले से ज्यादा प्रतिबद्ध मालूम पड़ती है। पर सवाल यह है कि क्या सचमुच यह खर्च सार्थक होगा? गुजरात सामाजिक ढाँचागत विकास बोर्ड की रचना हुई है पर सामाजिक ढाँचागत सविधाओं हेतु निवेश की कोई कार्यबद्ध योजना बनी नहीं है, यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

इस क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं ने जो पहल की है, वह उल्लेखनीय है। मूलभूत अधिकारों, स्वास्थ्य, संस्थागत प्रक्रियाओं, नीतिविषयक

फेरफार, सफाई, आर्थिक मामलों, तकनीकी विकास, महिला-विकास तथा शालाओं के क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं ने लक्ष्य तय किए हैं तथा संभावित व्यूहरचना सोची है। साथ ही, यह भी विचार किया है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन- कौनसे कदम उठाने चाहिए! 'गुजरात 2010 : ए विजन : ऑन् सेफ वॉटर, हाइजीन एंड सेनिटेशन फॉर आल' शीर्षक तले इस योजना में ई.स. 2010 में गुजरात में सामाजिक क्षेत्र में कैसा विकास होना चाहिए, इसका चित्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही यह भी सोचा गया है कि इस चित्र को पूरा करने हेतु क्या क्या किया जाए!

उत्थान, अहमदाबाद स्टडी एक्शन ग्रुप (असाग) तथा 'लोकविकास' के प्रयास को प्रेरणा मिली है 'वाटर सप्लाई एंड सेनिटेशन कोलेबोरेटिव कौंसिल' द्वारा वैश्विक स्तर पर 1997 में किए गए प्रयास से। कौंसिल ने 1998 से स्थानीय, जिला, राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं वैश्विक स्तर पर 3000 लोगों से मिलकर 'विजन 21' नामक एक दस्तावेज तैयार किया है। यह दस्तावेज कर्मशीलो द्वारा उपयोग में लाया जाएगा तथा जलापूर्ति, सफाई एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आंदोलन खड़ा करने हेतु यह बल प्रदान करेगा।

गुजरात में यह 'विजन 2010' दस्तावेज अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं के विचार-विमर्श और संवाद के आधार पर तैयार किया गया है। इसके तीन उद्देश्य हैं:

1. यह अनुभवों, सिद्धियों, व्यूहरचनाओं तथा चिंताओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को तीव्र करे।
2. यह लक्ष्य तय करने, नई सहभागिता स्थापित करने तथा संसाधन एकत्रित करने के लिए समुदाय-आधारित संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं, सरकारी संगठनों और दाता-संस्थाओं को आयोजन करने में सहयोग प्रदान करे।
3. अनेक स्तरों पर सरकारों के समक्ष समर्थन हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है।

इस दस्तावेज को दो भागों में बाँटा गया है। प्रथम भाग में प्रत्येक उप- क्षेत्र में ई.स. 2010 में गुजरात की स्थिति क्या होनी चाहिए, उसका चित्र प्रस्तुत किया गया है। दूसरे भाग में उपक्षेत्र के लक्ष्य तय किए गए हैं तथा सुझावात्मक व्यूहरचना बताई गई है तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उपाय सुझाए गए हैं। दस्तावेज में क्षेत्रवार जो बातें बताई गई हैं उनमें से कुछ क्षेत्रों मे विवरण इस प्रकार हैं:

मूलभूत अधिकार

सन् 2010 तक गुजरात में सत्ताधिकारी और समुदायों ने मिलकर तमाम लोगों को स्वास्थ्य, पानी और सफाई के मूलभूत अधिकार मिले होंगे, ऐसी परिस्थिति का सृजन किया होगा। तभी गुजरात के सभी नागरिकों को ये सेवाएँ उपलब्ध होंगी और उनकी गुणवत्ता सुधारने के प्रयास किए जाने होंगे।

इसके लिए मूलभूत सुविधाएँ विकसित करने हेतु, उनसे जुड़े कार्यक्रमों में निवेश को प्राथमिकता जुटाने तथा क्षमता बढ़ाने हेतु समर्थन किया जाएगा। भारत में, और भारत से बाहर, इस संबंध में जो आंदोलन चल रहे हैं, उनके साथ जुड़ावट और भागीदारी की व्यूहरचना अपनाई जाएगी तथा पानी, स्वास्थ्य सफाई के लिए राजकीय इच्छाशक्ति खड़ी हो जाएगी। शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में तीव्र गति से बिगड़ती परिस्थिति को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस संबंध में जो उपाय सोचे गए हैं वे इस प्रकार हैं : इन अधिकारों के समर्थन हेतु राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा, पर्याप्त कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता के बारे में समीक्षा कराई जाएगी, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा हितैषियों की सहभागिता के संदर्भ में प्रशासनिक ढाँचे की समीक्षा की जाएगी।

स्वास्थ्य

सन् 2010 तक जलजनित रोगों में कमी आई होगी। इसके लिए परिवारों, समुदायों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं ने संबंधित सत्ताधिकारियों के सहयोग से प्रयास किए होंगे। पानी की गुणवत्ता पर देखरेख और कड़ी निगरानी रखने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं और समुदायों ने साथ मिलकर काम किया होगा। बाल-मृत्युदर में सुधार हुआ होगा और गुजरात अब इस मामले में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में आगे होगा। गुजरात के अनेक जिलों में इस समय

फ्लुरोसिस मौजूद है। उस पर उस समय अंकुश आया होगा। उसके लिए उचित टेक्नोलोजी का उपयोग हुआ होगा और पानी की गुणवत्ता पर देखरेख रखने के प्रयास हुए होंगे।

इस संदर्भ में जो लक्ष्य तय किए गए हैं वे इस प्रकार हैं :

1. सन् 1999 में 13000 गाँवों में पेयजल के कोई स्रोत नहीं थे। ई.स. 2010 में एक भी गाँव पेयजल के स्थायी एवं विश्वसनीय स्रोत से विहीन नहीं होगा।
2. जलजनित रोगों में 70 प्रतिशत कमी लाना।
3. बाल-मृत्युदर 137 से घटकर 45 करना।
4. फ्लुरोसिस से प्रभावित प्रदेशों में80 प्रतिशत जलस्राव संचालन, जल संग्रह तथा बिगाड़ पर नियंत्रण द्वारा राज्य ने अकाल के विरुद्ध पूरी रक्षा करने वाली योजना बनाई होगी।

नए वर्ष में स्वास्थ्य-क्षेत्र में ये लक्ष्य हासिल करने के लिए निम्न कदम सोचे गए हैं :

1. प्रवर्तमान नेटवर्क्स के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य-समूह खड़े करने।
2. स्वास्थ्य-कार्यकर्ताओं तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। इसके लिए उचित व्यूहरचनाएँ एवं सामग्री विकसित करना। इसके निमित्त राज्य के स्वास्थ्य विभाग को अधिक मजबूत बनाना।
3. समग्र राज्य में ग्रामीण व शहरी दोनों इलाकों में जल-संग्रह की पद्धतियों को प्रोत्साहन देना।
4. जलापूर्ति के समूहों और गुणवत्ता पर निगरानी रखने हेतु सामुदायिक कार्य शुरू करने।
5. गुजरात की शिक्षानीति के मुताबिक शाला में शौचालय बनवाने के कार्यक्रम को सक्रिय सहयोग प्रदान करना।

सफाई

सफाई के क्षेत्र में जो लक्ष्य तैयार किये गए हैं, उनमें इन मुद्दों का समावेश होता है : 90 प्रतिशत लोगों को शामिल करना तथा सच्चाई की सहूलियतों का उपयोग करवाना; ग्रामीण व शहरी जरूरतों के अनुकूल तकनीकी विकल्प निर्मित करना; पानी व कचरे के पुनः चक्रीकरण हेतु परिवारों, सत्ताधिकारियों और उद्यमों की क्षमता बढ़ाना; नवीनतम शहरी विकल्प तैयार करना और उन्हें प्रोत्साहन देना; सेवाएँ उपलब्ध कराने और जारी रखने के लिए निजी प्रयासों को गति देना; गरीबों की रक्षा के लिए भुगतान के ढाँचे विकसित करने ताकि स्वामित्व एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन मिले; सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगे और इस बाबत जागृति फैलाई जाए, देख-रेख रखी जाए तथा पुनर्वास के प्रयास किए जाएँ।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो व्यूहरचना की गई है, उसमें जो महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं, वे इस प्रकार हैं : तकनीकी विकल्पों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन देकर तथा उपभोक्ता के अनुकूल योजनाएँ बना कर वित्तीय संसाधन एकत्रित किये जाएंगे। इसके उपरांत, तालीमी सुविधाएं उपलब्ध करने पर भी सोचा गया है। फिर, सफाई-कर्मचारियों की रक्षा के लिए मानव अधिकारों के अभिगम का उपयोग आक्रामक रीति से किया जाएगा। उसमें यह देखा जाएगा कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन हो। शालाओं में शौचालयी व्यवस्था बनवाने के प्रयास भी तीव्र किए जाएंगे।

सफाई के क्षेत्र में जो उपाय सोचे गए हैं उनमें तकनीकी विकल्पों के मूल्यांकन हेतु शिक्षा एवं सूचना के साधन विकसित करने का; मूल व्यय के 10 से 20 प्रतिशत का योगदान लोगों द्वारा दिया जाए, ऐसी योजना विकसित करने का; महिलाओं द्वारा संचालित ग्राम समितियाँ निर्मित करने का; शहरों के लिए वैकल्पिक नमूने विकसित करने का; उपयोगकर्ता रकम चुकाए ऐसे नमूनों को प्रोत्साहन देने का; महिलाओं तथा अपंगों की विशिष्ट जरूरतों पर ध्यान देने का तथा राज्य के जल व सफाई संबंधी तमाम नेटवर्क्स में संस्थागत कार्यक्रम को प्राथमिकता देने का समावेश है।

आर्थिक मामले

सन् 2010 में गुजरात में ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में समुदाय की भागीदारी के द्वारा जलापूर्ति के आर्थिक पहलू में सुधार हुआ होगा। नियोजन और संरक्षण का व्यय तथा पेयजल की सेवाओं की जवाबदारी में लाभार्थी समुदाय सक्रिय रीति से सम्मिलित होंगे। खर्च में भागीदारी का ऐसा तंत्र विकसित हुआ होगा कि

जिसमें परिवार का योगदान समुदाय द्वारा आता होगा और उससे यह पद्धति अधिक स्थायी बनी होगी। सामुदायिक समूह सर्विस चार्ज पर नजर रखते होंगे तथा निगरानी का दायित्व वहन करते होंगे। शहरी इलाकों में पानी की दर अभी बहुत कम हैं। गरीब लोगों को रक्षण मिले, इस रीति से उसमें सुधार हुआ होगा। पानी व सफाई की सेवाओं के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए नियमनकारी तंत्र विकसित हुआ होगा।

इस संदर्भ में जो लक्ष्य रखे गए हैं वे इस प्रकार हैं :

1. कम खर्चीली ग्रामीण तकनीकी को प्रोत्साहन देना तथा समुदायों के द्वारा संसाधन एकत्र करके राज्य में प्रतिव्यक्ति पूँजी निवेश खर्च 2500 रु. से घटाकर 1500 रु. करना।
2. ग्रामीण इलाकों में हिफाजत खर्च प्रति लीटर एक रु. करना। इसके लिए कम खर्चीली तकनीकी का उपयोग करना तथा समुदायों की भागीदारी बढ़ाना।
3. सँभालने का अधिकांश खर्च समुदाय उठाएगा।
4. शहरों और ग्रामीण अंचलों के बीच पानी के वितरण में समानता रखना तथा शहरों में गरीबों-अमीरों तथा परिवारों व उद्योगों के बीच भी समानता निर्मित करना।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस दस वर्षीय योजना में निम्नानुसार उपाय सुझाये गए हैं :

1. राज्य के सत्ताधिकारियों और विशेष रूप से राजनेताओं और इंजीनियरों के सामने वैकल्पिक आर्थिक नमूने की हिमायत करना।
2. निदर्शन परियोजनाओं के द्वारा वैकल्पिक योजना दाखिल करना।
3. नागरिकों को नए अभिप्राय एवं दायित्व के लिए तैयार करने की हिमायत करना।
4. नई आर्थिक भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों के लिए सामुदायिक संगठनों की क्षमता बढ़ाना।
5. जल के व्यापारिक उपयोग हेतु तार्किक भावनीति तय कराना : तथा सफाई हेतु वैकल्पिक आर्थिक योजनाएँ विकसित करना।
6. परिवारों एवं समुदायों में ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहन देना।

उपसंहार

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि स्वैच्छिक संस्थाओं ने पानी, सफाई तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो दसवर्षीय योजना बनाई है, उसमें जन- सहभागिता, चिरंतनता और संसाधनों के समान वितरण पर विशेष भार दिया गया है। क्या यह योजना राज्य सरकार ने ढाँचागत सुविधाओं के विकास हेतु जो योजना गढ़ी है, उसके साथ टकराहट में उतरी है, इस कारण यह असंगत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्थिक विकास सिर्फ थोड़े-से लोगों के लिए लाभदायी न बने, यह देखने का दायित्व राज्य का है और इसकी याद स्वैच्छिक क्षेत्र में राज्य सरकार को उसकी इस दसवर्षीय योजना द्वारा दिलाई गई है।

मानव-विकास एवं मानव-अधिकारों के साथ अच्छा मेलजोल साधते हुए गुजरात आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़े, यह जरूरी है। करोड़ों रुपयों की पेयजल तथा सिंचाई में पानी की योजनाओं तथा स्वास्थ्य योजनाओं के बावजूद गति से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। ऐसे समय गुजरात सरकार कम खर्चीली, स्थानीय लोगों की आर्थिक व भौतिक भागीदारी वाले एवं टिकाऊ उपायों को सहारा व प्रोत्साहन प्रदान करे, यह अपेक्षित है।

सन् 2010 में पानी, सफाई और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह के गुजरात की कल्पना स्वैच्छिक संस्थाओं ने की है, ऐसे गुजरात की वास्तव में रचना कर पाना असंभव तो नहीं। राज्य सरकार इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्रदान करती है। इसके लिए राजकीय इच्छाशक्ति धारण करने की आवश्यकता है। सिर्फ सामाजिक ढाँचागत विकास बोर्ड खड़ा करने से यह काम नहीं होगा। बोर्ड की कार्यशैली सहभागिता वाली हो तथा बोर्ड सामाजिक क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य निर्धारित समयावधि में पूरे करने हेतु प्रतिबद्धतापूर्वक व्यवहार करे तथा इसके लिए वित्त जुटाए, यह जरूरी है।

आय-व्यय पत्रक और सामाजिक क्षेत्र : गरीबों पर संभावित प्रभाव

गुजरात और केन्द्र सरकार के 2000-2001 वर्ष के आय-व्यय पत्रकों का अध्ययन करके **श्री हेमंतकुमार शाह** ने यह लेख तैयार किया है। इसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों में क्या व्यवस्था की है और उनका देश व गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, इसका विवरण दिया गया है।

प्रस्तावना

औद्योगिक क्रांति के बाद यानी 19वीं सदी के आरंभ से राज्य नामक संस्था का कर्तृत्व बदलता गया है। राज्य अब सिर्फ आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की अथवा बाहरी आक्रमणों से जनता की रक्षा करनेवाली संस्था नहीं रही। पर यह गरीबों के कल्याण हेतु काम करनेवाली अर्थात् बाजार द्वारा प्रेरित निजी हितों के मार्फत समाज में पैदा होने वाली विकृतियाँ दूर करनेवाली संस्था बनी है। विशेष रूप से जहाँ पर गरीबों की संख्या ज्यादा है, ऐसे देशों में राज्य की अर्थात् सरकार की भूमिका विशिष्ट है। इन स्थितियों में सरकार कहाँ से कितने पैसे प्राप्त करती है और कहाँ कितने पैसे खर्च करती है, यह बात महत्त्वपूर्ण हो गई है क्योंकि यही उसकी नीतियों को प्रतिबिम्बित करती है कि वे किस तरह की हैं।

सरकार की आमदनी और खर्च का हिसाब है उसका आय-व्यय-पत्रक। ठेठ ग्राम स्तर से शुरू करके केन्द्र सरकार तक हर वर्ष के अंत में आने वाले वर्ष का आय-व्यय-पत्रक निर्मित किया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष अभी अप्रेल से मार्च के बीच का है। अतः सभी स्तरों पर कार्य के अंत तक आय-व्यय-पत्रक बन जाता है। ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद्, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार अपने-अपने आय-व्यय-पत्रक प्रस्तुत करते हैं। इन आय-व्यय-पत्रकों के विवरण को समझना आवश्यक है क्योंकि वे सरकार के इरादों को व्यक्त करते हैं।

केन्द्र सरकार का आय-व्यय-पत्रक प्रतिवर्ष फरवरी माह के अंतिम दिन प्रस्तुत होता है। उसके आसपास ही राज्य सरकारें अपना आय-व्यय-पत्रक प्रस्तुत करती हैं। केन्द्र सरकार के आय-व्यय-पत्रक को संसद और राज्य सरकार के आय-व्यय-पत्रक को विधानसभा पास करे, यह जरूरी है। महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आय-व्यय-पत्रक के दस्तावेज की संख्या और उसमें पृष्ठों की संख्या इतनी अधिक होती है तथा उसमें दिए गए ब्यौरे इतने टेक्नीकल ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं कि साधारण आदमी तो क्या संसद-सदस्यों और विधानसभा सदस्यों तक के लिए समझ पाना कठिन है। उदाहरण के लिए गुजरात सरकार का आय-व्यय-पत्रक लगभग 60 दस्तावेजों में होता है और उसके पृष्ठों की संख्या लगभग 12000 होती है! इसके बावजूद ये दस्तावेज बहुत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें सरकारों के विविध कार्यक्रमों के पीछे होने वाले खर्च के विवरण होते हैं।

यहाँ केन्द्र सरकार के और गुजरात सरकार के वर्ष 2000-2001 हेतु आय-व्यय-पत्रकों में सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च की क्या व्यवस्था की गई है, उसका विवरण दिया गया है और उनका थोड़ा विश्लेषण किया गया है। गुजरात सरकार नए वर्ष में 23,418 करोड़ रू. खर्च करेगी और केन्द्र सरकार 3,38,487 करोड़ रु. खर्च करेगी; अर्थात् इतने रुपयों का आय-व्यय-पत्रक है, यों कहा जा सकता है। इनमें खर्च की, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्रों में खर्च की क्या व्यवस्था है, यह हमें देखना है।

केन्द्र सरकार

1. प्रारंभिक शिक्षा पर 1999-2000 में 2939 करोड़ रुपए खर्च होंगे, एसा एक संशोधित अनुमान है। अब नए वर्ष हेतु 3735 करोड़ रु. के खर्च का अंदाजा रखा गया है। इस प्रकार इस मद में अधिक राशि रखी गई है। पर आश्चर्य की बात यह है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार जितनी राशि व्यय करती है, उसकी तुलना में अधिक राशि माध्यमिक

एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा पर खर्च करती है। सन् 1999-2000 में 4381 करोड़ रु. का खर्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा पर हुआ था। अब नए वर्ष में अंदाजन 4650 करोड़ रू. रखे गए हैं।

2. आदिवासी मामलों के लिए एक नया मंत्रालय खोला जाएगा। इस समय यह एक अलग विभाग के रुप में काम करता है। वर्ष 1999-2000 में इसका खर्च रु. 184 करोड़ होने का संशोधित अंदाज है। नए वर्ष हेतु खर्च बढ़ाकर 213 करोड़ किया जा रहा है।
3. शहरी रोजगार तथा गरीबी निवारण के लिए वर्ष 1999-2000 में 302 करोड़ रु. के व्यय का संशोधित अनुमान है। अब नए वर्ष में रु. 399 करोड रखा गया है।
4. महिला एवं बाल-विकास पर रु. 1177 करोड़ का व्यय वर्ष 1998-99 में था। वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित अंदाज 1512 करोड़ का है।
5. पेयजल आपूर्ति पर वर्ष 1998-99 में रु. 1677 करोड़ खर्च हुए थे। वर्ष 1999-2000 में इसका संशोधित अंदाज रू. 1808 करोड़ का है। अब नए वर्ष के लिए यह खर्च 2101 करोड़ रखा गया है।
6. केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर होने वाले खर्च को घटाने का निर्णय लिया है। वर्ष 1998-99 में यह 8756 करोड़ रु. था। वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित व्यय रु. 9264 करोड़ का है। अब आगामी वर्ष में संशोधित व्यय अनुमान 8168 करोड़ रखा गया है। इस तरह, लगभग 1100 करोड़ का व्यय कम होगा।
7. केन्द्र सरकार अन्न-सब्सिडी घटाना चाहती है, इसलिए उसमे सार्वजनिक वितरण-व्यवस्था के अंतर्गत बेची जाने वाली वस्तुओं के भाव बढ़ाने का निर्णय लिया है। अतः सस्ते अनाज की दुकानों पर बेचे जानेवाले गेहूँ, चावल, चीनी के भाव बढ़ेंगे। चावल के भाव प्रति किलो 3.50 रु. से बढ़कर 5.15 रु. होने की संभावना है। चीनी के भाव 12 रु. प्रति कि.ग्रा. से बढ़कर 13 रु. होगा और गेहूँ का भाव 2 रु. से बढ़कर 4 रु. होने की संभावना है।
8. सस्ते अनाज की दुकानों से अब गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को खरीद का लाभ नहीं मिलेगा। वर्ष 1997 के अंदाज मुजब देश मे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 36 करोड़ है। यानी इनकी प्रति व्यक्ति मासिक आय 254 रु. से कम है और अब मात्र उनको ही अन्न सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
9. सरकार ने सस्ते अनाज की दुकानों से प्रति परिवार 70 कि.ग्रा. अनाज देने की बजाय 20 कि.ग्रा. अनाज देने का निर्णय लिया है।
10. 'जनश्री बीमा योजना' नामक एक सामाजिक सुरक्षा की योजना शुरू की जाएगी। यह गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को बीमा का छत्र प्रदान करेगी। यदि प्राकृतिक मृत्यु हो तो 20,000 रु. दुर्घटना-मृत्यु हो तो या स्थायी अपंगता हो तो 50,000 रु. और अपंगता आंशिक हो तो 30,000 रु. की बीमा-राशि मिलेगी। इसके लिए प्रतिमाह व्यक्ति को 10 रु. या इससे कम राशि का प्रीमियम भरना होगा। शेष प्रीमियम 'जीवन बीमा निगम' (एल.आई.सी.) भरेगा।
11. जल संसाधन मंत्रालय का वर्ष 1998-99 में 523 करोड़ रु. का खर्च था। वर्ष 1999-2000 में 572 करोड़ का संशोधित अंदाज था। अब नए वर्ष में रु. 682 करोड़ अनुमानित रखा गया है।
12. ग्राम विकास मंत्रालय के खर्च में निरंतर कमी हो रही है। वर्ष 1998-99 में रु. 7559 करोड़ का खर्च हुआ था। वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित अनुमान राशि रु. 7238 करोड़ थी। अब नए वर्ष में 6779 करोड़ रु. के खर्च का अनुमान आया है।
13. वर्ष 1999-2000 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के मुताबिक रु. 2095 करोड़ के खर्च की व्यवस्था की गई थी, पर संशोधित अनुमान रु. 1689 का है। इस तरह इसमें 406 करोड रु. घटाए गए हैं। अब नए वर्ष में रु. 1485 करोड़ का अनुमान रखा गया है।
14. शिक्षा में बालिकाओं के निःशुल्क शिक्षण हेतु, डी.पी.ई.पी. प्रौढ़ शिक्षण, अवैधिक शिक्षण, शिक्षण-प्रशिक्षण एवं ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 में रु. 1989 करोड़ का प्रावधान किया गया था। लेकिन संशोधित अनुमान में यह खर्च रु. 1349 करोड़ दरसाया गया। इस तरह इसमें 640 करोड़ रु. का खर्च घटाया गया।

15. वर्ष 1999-2000 का आय-व्यय-पत्रक प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने अन्नपूर्णा योजना की घोषणा की थी। इसमें विशेष रूप से वृद्ध विधवाओं को 10 कि.ग्रा. अनाज मुफ्त दिए जाने का प्रावधान हुआ था। योजना की घोषणा तो कर दी गई थी, पर इसके लिए आय-व्यय-पत्रक में राशि नहीं रखी गई थी। अब वर्ष 2000-01 में इसके लिए रु. 90 करोड़ रखे गए हैं।
16. वर्ष 1999-2000 के बजट में बताया गया था कि 'इंदिरा आवास योजना' के अनुसार ग्रामीण गरीबों के लिए 13 लाख मकान बनवाए जाएंगे। इसके वास्ते रु. 1710 करोड़ की व्यवस्था की गई थी। संशोधित अनुमान में इस राशि को घटाकर 1659 करोड़ किया गया। इस तरह इसमें 51 करोड़ की कमी की गई है। अब नए वर्ष के लिए रु. 1539 की व्यवस्था की गई है।

गुजरात सरकार

1. वित्त मंत्री ने अपने आय-व्यय-पत्रक के भाषण में 'सम्पूर्ण मानव विकास' पर बल दिया है। उन्होंने मानव-विकास-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए पाँच सीमाचिह्न स्वीकार किये हैं। उनमें साक्षरता स्तर को ऊपर ले जाने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने, गृहनिर्माण, गाँवों को सड़कों से जोड़ने तथा पेयजल का समावेश है।
2. साक्षरता-स्तर को बढ़ाने के लिए इस वर्ष ये काम किए जाएंगे : 95 प्रतिशत बालकों को पहली कक्षा में भर्ती करना; 1 से 5 कक्षा में अधबीच शाला छौड़ जाने वाले बालकों की संख्या 7 प्रतिशत कम करना; हरिजनों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और बालिकाओं के शिक्षण पर विशेष ध्यान देना।
3. स्वास्थ्य-सेवाओं में सुधार के संदर्भ में तीन मुद्दे प्रस्तुत किये गए हैः बाल-मृत्यु-दर को 60 से नीचे ले जाना; प्रसूता मृत्यु-दर 1.5 से नीचे ले जाना तथा जन संख्या वृद्धि दर घटाने हेतु कुल प्रजनन दर 2008 तक घटाकर 2.7 प्रतिशत करना। इसके लिए राज्य सरकार नयी जनसंख्या नीति घोषित करेगी।
4. सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के 2149 गाँवों में पेयजल के स्थायी स्रोत बनाए जाएंगे। वर्तमान में इन गाँवों में कोई जल-स्रोत है नहीं, या फिर पानी फ्लोराइड वाला है।
5. अलग-अलग जिलों के सिविल हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है। लेकिन 1999-2000 में उनके रख-रखाव एवं मरम्मत के वास्ते रु. 1.66 करोड़ के व्यय का अनुमान रखा गया था, पर संशोधित अनुमान रु. 1.45 करोड़ के व्यय का है; अर्थात् धारणा से भी ज्यादा व्यय घटा है। अब नए वर्ष में रु. 1.63 करोड़ के व्यय का अंदाज लगाया गया है।
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भौतिक सुविधाएँ सुधारने के लिए नए वर्ष में रु. 96.49 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसी भाँति समूह-स्वास्थ्य केन्द्रों में रु. 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का कुल खर्च नए वर्ष हेतु रु. 952 करोड़ सोचा गया है; हालाँकि संशोधित अंदाज 999 करोड़ का है। इस तरह इसमें रु. 47 करोड़ का विशाल घाटा किया गया है।
8. 'श्री वाजपेयी युवा स्वरोजगार योजना' के अंतर्गत रु. 21.75 करोड़ नए वर्ष में खर्च किए जाएँगे। इस योजना द्वारा 15750 युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसा अनुमान है। इस योजना से विशेष रूप से गुजरात के शहरी इलाकों के युवाओं को स्वरोजगार करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें ऋण और सब्सिडी दोनों का समावेश है।
9. सरकार ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए खर्च घटा रही है। वर्ष 1999-2000 में यह रु. 117 करोड़ होने का अनुमान है। आगामी वर्ष में रु. 134 करोड़ होगा ऐसा अनुमान है, पर वर्ष 1998-99 में यह खर्च रु. 160 करोड़ का था।
10. आदिवासी अंचल उपयोजना के कुल खर्च में से मात्र पाँचवाँ हिस्सा राशि पंचायतों को मिलेगी। योजना का कुल खर्च रु. 1094 करोड़ सोचा गया था, जिसमें से मात्र रू. 228 करोड़ का ही अनुदान के बतौर पंचायतों को मिलेगा।
11. आदिवासी विस्तार उपयोजना में ग्रामोद्योग और गृहोद्योग हेतु ऋण वर्ष 1999-2000 के रु. 33 लाख से घटा कर रु. 17 लाख किए गए हैं। फिर, सहभागिता संबंधी पूंजीगत व्यय में कोई वृद्धि नहीं की गई। कृषि-विषयक कार्यक्रमों संबंधी पूंजीगत व्यय आधा कर दिया गया है तथा मत्स्योद्योग के लिए प्रदत्त ऋण पाँचवाँ हिस्सा कर दिया गया है।
12. गुजरात में आदिवासी पुरुषों में मात्र 48 प्रतिशत और

आदिवासी महिलाओं में मात्र 24 प्रतिशत साक्षर हैं। पर आदिजाति विस्तार उपयोजना के अंतर्गत सामान्य शिक्षा के खर्च में जरा-सी वृद्धि की गई है। नए वर्ष हेतु रु. 88 करोड़ का खर्च किया जाएगा। वर्ष 1999-2000 में इसका संशोधित अनुमान रु. 80 करोड़ का है।

13. वित्त मंत्री ने अपने बजट-भाषण में कहा है कि '1990-91 में आदिवासी आबादी 14.92 प्रतिशत होने के कारण सरकार काफी समय से नोकरीयों में इनका आरक्षण 1 टका बढ़ाने पर विचार कर रही थी। वर्तमान सरकार ने आदिवासियों हेतु आरक्षण 14 टका से बढ़ाकर 15 टका करने का निर्णय लिया है।'
14. शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति हेतु राजस्व व्यय नए वर्ष में रु. 3427 करोड़ सोचा गया है तथा 1999-2000 वर्ष का संशोधित अनुमान रु. 3357 करोड़ का है। इसके लिए नए वर्ष में पूँजीगत व्यय रु. 20 करोड़ का अंदाजा था, जबकि 1999-2000 के वर्ष का बजट अनुमान रु. 24 करोड़ का था और अब 21 करोड़ का खर्च होने का संशोधित अनुमान है।
15. ग्रामीण मजदूरों के लिए समाज सुरक्षा निधि हेतु नए वर्ष में रु. 5.6 करोड़ के खर्च का अनुमान है। वर्ष 1999-2000 हेतु यह खर्च रु. 5.12 करोड़ था। इस तरह, इसमें कमी की गई है। हालाँकि वर्ष 1997-98 में यह खर्च 8.23 करोड़ का था; यानी विगत 3 वर्षों में इसमें जबर्दस्त कमी की गई है।
16. नए वर्ष में गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम की योजनागत व्यवस्था रु. 214.17 करोड़ की रखी गई है। पिछले वर्ष यह रु. 178.02 करोड़ की थी। इस तरह, इस व्यय में जबर्दस्त वृद्धि की गई है। इसमें 'सरदार पटेल आवास योजना' के लिए रु. 130 करोड़ का प्रावधान बढ़ाकर रु. 168 करोड़ किया गया है। राज्य सरकार ने नए वर्ष में 1 लाख नए आवास बनवाने का लक्ष्य रखा है।
17. लघु उद्योगों को राहत सहायता देने के लिए जो अनुदान दिया जाता है, उसमें कमी की गई है। वर्ष 1999-2000 में यह अनुदान रु. 90 लाख सोचा गया था, पर संशोधित अनुमान बताता है कि यह खर्च मात्र रु. 30 लाख ही होगा। अब नए वर्ष में यह राशि 50 लाख की गई है।

पृष्ठ 17 का शेष भाग

विकासोन्मुखी योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य की संस्थाओं और गैरसरकारी संगठनों द्वारा समुदाय की भागीदारी पर जब बल दिया जाएगा तभी शहरी निर्धनों के कौशल का उपयोग होगा। लोगों को उनकी विकास-योजनाओं में सहभागी बनाने के लिए प्रभावशाली ढंग से संगठित किया जाए, यही जरूरी है। राव 8-10 दिनों के लिए सूरत से बाहर थे, तब उनके सीधे निरीक्षण तले काम करने वाले अधिकारी अपनी मूल कार्य-शैली में वापिस आ गए थे। सूरत मे लोगों की भागीदारी उनमें बढ़ी नहीं थी। लोगों के विरोध के बीच दिसंबर 1997 में जब राव की बदली हुई तब मानो प्रेरक बल ही चल गया था। देश के अन्य शहरों की भाँति सूरत की मुख्य समस्या यह है कि सफाई की सुविधाओं हेतु धन कहाँ से लाया जाए और सेवाओं का समान वितरण कैसे किया जाए? आगामी सात वर्षो में जल आपूर्ति तथा सफाई की सुविधा पूरी उपलब्ध करने हेतु सूरत नगर परिषद को 1100 करोड़ रुपयों की जरूरत है। महामारी फिर से फूट न निकले, इसके लिए आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता है।

ऐसा लगता है कि भारत में सफाई की दिशा में इस तरह से सुधार हो कि असमानता की समस्या का समाधान कर सकें। 74वें संविधान संशोधन ने अनेकानेक आशाएँ जागृत की हैं। फिर, उसके परिणाम स्वरूप नगरपालिकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षित सीटें महिलाओं को बाँटी गई हैं। अतः अधिक महिलाएँ मेयर बनती हैं और हरिजन महिलाएँ भी उनमें सदस्य बनती हैं।

विकासोन्मुखी योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य की संस्थाओं और गैरसरकारी संगठनों द्वारा समुदाय की भागीदारी पर जब बल दिया जाएगा तभी शहरी निर्धनों के कौशल का उपयोग होगा। लोगों को उनकी विकास-योजनाओं में सहभागी बनाने के लिए प्रभावशाली ढंग से संगठित किया जाए, यही जरूरी है।

पानी का यक्ष प्रश्न : श्रमशक्ति और संगठन की महिमा

आगाखान ग्राम समर्थन कार्यक्रम (भारत) के कार्यकर्ता श्री नटवर खावड़िया द्वारा प्रदत्त लिखित सामग्री से तथा उपलेटा की संस्था 'वृक्षप्रेम सेवा ट्रस्ट' के कार्यक्षेत्र वाले गाँवों का रूबरू साक्षात्कार लेकर **श्री संजय दवे (चरखा)** द्वारा यह लेख तैयार किया गया है।

पूर्वपीठिका

वर्तमान में पानी का प्रश्न देखते हुए भारत में आगामी 25 वर्षों में राष्ट्रीय दुष्काल पड़ेगा, ऐसी भयप्रद चेतावनी चैन्नई की अन्ना युनिवर्सिटी के 'जल-संसाधन केन्द्र' के प्रो. एन. वी. पंडरीकांथन ने दी है। गुजरात में भी पानी का प्रश्न एक प्राणप्रश्न है। गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात में पानी की समस्या वर्षों से विकट है। इन तीनों अंचलों में अलग-अलग प्रकार की पानी की समस्या है। कच्छ और सौराष्ट्र में कम वर्षा के कारण पैदा हुई तकलीफें हैं तो उत्तर गुजरात में भूमिगत जल के गहराई में चले जाने तथा फ्लोराइड के प्रश्न हैं। 'प्यास लगने पर कुआँ खोदने' की हमारी वृत्ति के कारण आज गुजरात में यह परिस्थिति पैदा हो गई हैं। अकाल, अर्ध-दुष्काल, अनियमित व अपर्याप्त वर्षा, जल के व्यवस्थापन का अभाव, भ्रष्ट व अनगढ़ आयोजन, शहरीकरण, जीवन-व्यवहार और उद्योगों में पानी का अंधाधुंध अपव्यय इत्यादि कारणों से राज्य की जल-समस्या दिन-प्रति-दिन ज्यादा से ज्यादा विकराल बनती जा रही है। पाताल-कुओं और बोर द्वारा सतत और अधिकाधर मात्रा में पानी निकाला जा रहा है। इससे भूमिगत जल के तल भयजनक रीति से गहरे-दर-गहरे जाते रहे हैं। उत्तर गुजरात में तो पांच से दस हजार वर्षों का संगृहीत भूमिगत जल पिछले कुछेक वर्षों में ही खींचा गया है।

सौराष्ट्र में साढ़े सात लाख कुएं और लगभग दस लाख बोर हैं। वहां पांच-सात वर्षों पूर्व 30 से 40 फीट पर पानी मिलता था जबकि आज 200 फीट पर बड़ी मुश्किल से पानी मिल पाता है। उत्तर गुजरात में मात्र महेसाणा जिले में पचास हजार पाताल कुएँ हैं। परंतु आज उत्तर व मध्य गुजरात का भूमिगत जल 500 से 1200 फुट की गहराई तक नीचे चला गया है। भूमिगत जल के नीचे चले जाने से समुद्र का खारा पानी भूगर्भ में आगे से आगे बढ़ता रहा है। परिणामत : द्वारका, पोरबंदर जैसे सागरतटीय अंचलों में क्षार की मात्रा रोज-रोज बढ़ती जा रही है। हाल में क्षार की वजह से राज्य के 1500 कि.मी. इलाके में रेगिस्तान-जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मध्यमवर्गीय किसानों की पीत-क्रांति के प्रणेता स्व. विठुभाई पटेल ने कहा था कि पानी को लेकर संतुलित विकास का आयोजन यदि नहीं किया जाएगा तो सौराष्ट्र,

पानी की समस्या ने एक महिला का जीवन हर लिया

राजकोट शहर की गीतांजलि सोसाईटी में गली नं. 4 में जब पानी के टेंकर आते हैं तो उन पर कबजा जमाने के लिए होने वाले क्लेश से भयभीत होकर 33 वर्षीया अनुसूया बहन ने विषैली गोली खाकर आत्महत्या कर ली। अनसूया बहन के पति भगवानभाई अपनी दुकान पर काम करते थे, वहाँ उन्हें समाचार मिला कि उनकी पत्नी को उल्टी-दस्तें हो गई हैं। वे पत्नी को अस्पताल ले गए, पर इलाज सफल नहीं रहा। अनुसूया बहन ने रात को दम तोड़ दिया। पानी की मुसीबत ने तेरह वर्ष की बेटी श्वेता और आठ वर्ष के बेटे भाविन की माता अनुसूया बहन के प्राण ले लिये। जिस इलाके में भगवानभाई रहते हैं, वहाँ दो-तीन दिनों से पानी टेंकर आता है। टेंकर आते ही पड़ोसी इला बहन गढ़वी स्थायी रूप से अपनी बारी पहले लेती हैं और फिर अपने सास-ससुर की बारी लगा देती है, इसलिए स्थायी रुप से बोलचाल होती। घटना के दिन भी अनुसूया बहन से झगड़ा हुआ था। पड़ोस में रहना और रोज-रोज की माथापच्ची से निराश होकर उसने गेहूं में रखने वाली पारे की गोली खा ली। हालाँकि, इला बहन के पति डॉ. विजय गढ़वी कहते हैं कि 'पानी के झगड़े में कोई स्त्री आत्महत्या करे, यह बात गले नहीं उतरती। इस घटना के बाद पत्नी की तबीयत भी बिगड़ गई है, उसे भी हास्पिटल में दवा दिलानी पड़ी है।'

इस करुण प्रसंग में सचाई जो हो सो हो, लेकिन पानी की समस्या के कारण एक आत्महत्या घटी, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।

कच्छ, उत्तर गुजरात का पानी से तड़फता प्रदेश, दूसरा आदिवासी पट्टी का फिर भी संसाधनों की दृष्टि से अभावग्रस्त प्रदेश, और तीसरा गुजरात की मध्यवर्ती समृद्ध पट्टी का प्रदेश - इन तीन विषम भागों में गुजरात बंट जाएगा और पानी के लिए संग्राम छिड़ेंगे। जामनगर के फल्ला गाँव में पानी के लिए हुआ दंगा, राजकोट की महिला की आत्महत्या और अन्य नगरों में पानी को लेकर होने वाले मार-पीट को देखते हुए विठुभाई की बात लगता है, सच हो रही है।

वैसे पानी की एसी विकराल समस्या का सामना करने के लिए सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर गुजरात तथा अन्य भागों में लोग सक्रिय हो गए हैं। गुजरात में स्थान-स्थान पर पानी बचाने के आंदोलन शुरू हो गए हैं। 'जागे तभी सवेरा' मानकर सुरेंद्रनगर, भावनगर, कच्छ, जामनगर, अमरेली, राजकोट इत्यादि जिलों में बड़े पैमाने पर कुएँ रीचार्ज करवाने के, तालाब खुदवाने के, घर में वर्षा का पानी संगृहीत करने के, चेकडेम बाँधने आदि के काम अलग-अलग स्वैच्छिक संस्थाओं, संगठनों, धार्मिक संगठनों तथा सरकार द्वारा बड़े स्तर पर हो रहे हैं। 'कण से मण होता है' - मुहावरे के अनुसार गाँव-गाँव में जल-संचय के कार्यों से समग्र स्थानीय इलाकों में भी पानी की छत होने के समाचार मिल रहे हैं। किसी अंचल में व्यक्तिगत स्तर पर हों तो कहीं किसी योजना के तत्त्वावधान में जल-संग्रह के काम हो रहे हैं।

इन कार्यों से जल की समस्या का समाधान करने हेतु प्रेरणादायी दृष्टांतों वाले दो प्रयासों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम दृष्टांत में स्वैच्छिक संस्था 'आगाखान ग्राम समर्थन कार्यक्रम (भारत)' के तत्त्वावधान में सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला तहसील में लाखणका गाँव में महिलाओं के नेतृत्व में हुए कार्य की बात की गई है। उसमें पेयजल के संकट का लोगों और विशेष रूप से महिलाओं ने संगठित होकर जो समाधान किया, उस पर बल दिया गया है; जबकि दूसरे दृष्टांत में राजकोट जिले की जामकंडोरणा तहसील के गाँवों में कार्यरत स्वैच्छिक संस्था 'वृक्ष प्रेम सेवा ट्रस्ट' के तत्त्वावधान में हुए कार्यों की चर्चा की गई है। इन कार्यों में संस्था के निदेशक श्री प्रेमजीभाई पटेल की निष्ठा और सूझ के दर्शन होते हैं। फिर, स्थानीय ग्रामवासी अपने गाँव की पानी की समस्या दूर करने हेतु अपना ज्यादा से ज्यादा आर्थिक योगदान और श्रम देने को तैयार हुए हैं, इसकी बात बढ़ानी है। सरकार पर निर्भर रहने की बजाय अपने गाँव की समस्या ग्रामजनों की ही हल करनी चाहिए ऐसी भावना लोगों में जगाने का काम 'ट्रस्ट' द्वारा हो रहा है।

सुरेंद्रनगर का लाखणका गाँव श्रमशक्ति एवं संगठन की महिमा समझाता है

प्रेरणा-प्रवास से बहनें जागृत हुईं

अकालग्रस्त अंचल के रूप में जाहिर सुरेंद्रनगर जिले की चोटीला तहसील में आनंदपुर रोड पर स्थिति लाखणका गाँव की यह संघर्षगाथा है। गाँव में पेयजल का विकट संकट था। गाँव के रहावन में एक कुआं था जरूर, पर वह वर्षाकाल के बाद सूखने लगता। कुएँ के बगल में दो हैंडपंप हैं। उनके पानी की सतह भी गर्मी में बहुत नीचे चली जाती। तीन-तीन बहनें हैंडपंप से पानी खींचने का प्रयत्न करें तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा-सा पानी आता। पानी भरने के लिए लंबी कतारें लगतीं और तकरारें भी होतीं। पानी की यह समस्या हल करने के लिए गाँव के उत्साही कार्यकर्ता श्री अमरसिंहभाई ने प्रयास किया था, परंतु गाँव में छुआछूत के मतभेद के कारण उनका सपना साकार नहीं हो सका।

इस अंचल में काम करनेवाली स्वैच्छिक संस्था 'आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम' के कार्यकर्ताओंने इस बात पर बल दिया कि पेयजल की समस्या का समाधान ग्रामवासी संगठित होकर करें। ग्राम-विकास की सामूहिक योजना को अपना ही समझा जाए,

उसकी सुरक्षा करें और ग्रामवासी स्वयं ही गाँव की समस्या का निवारण करें। इस बात का लाखणका और अन्य गाँवों की महिलाएँ अच्छी तरह से समझें, इसके लिए धोळका गाँव का प्रवास आयोजित किया गया। इस प्रेरणा-प्रवास में धोळका और धोलेरा में 'असाग' और 'माहिती' संस्था से साक्षात्कार आयोजित किया गया। प्रवास में आई बहनों ने देखा और समझा कि वहाँ की बहनों के संगठन से पेयजल की समस्या हल हो गई। संगठन की ताकत के फलस्वरूप पानी का सुख देखकर बहनें प्रभावित हुईं। प्रेरणा-प्रवास से वापिस लौटते समय बस में ही लाखणका गाँव की महिलाओं ने महिला-मंडल बनाने तथा पेयजल की समस्या हल करने का फैसला कर लिया।

बूँद-बूँद जन सहयोग

गाँव की महिलाओं ने निर्णय को क्रियान्वित भी किया। प्रति माह 10 रु. बचाने शुरू किए। इसी बीच आगाखान संस्था ने अलग-अलग गाँवों में पेयजल की सुविधा को लेकर सर्वेक्षण भी कराया। सर्वेक्षण के उपरांत लाखणका गाँव में एक दूसरा हैंडपंप लगाने का प्रस्ताव ग्रामवासियों के सामने रखा गया। परंतु ग्रामीण महिलाओं ने उस बारे में बताया कि 'गाँव में एक पंप तो है ही, दूसरे पंप से हमारी समस्याएँ हल नहीं होंगी; क्योंकि पंप का पानी गहरे उतर चुका है। तीन बहनें मिलकर बड़ी मुश्किल से पंप चला पाती हैं। अशक्त, बीमार और सगर्भा का उसमें क्या काम! फिर घंटों-घंटों कतार में बैठना पड़ता है। तकरारें होती हैं, जी दुख पाता है।' महिलाओं की बातें ध्यान देने योग्य थीं। महिलाओं ने अब मोटर लगवाकर पानी भरने की व्यवस्था का निर्णय लिया। परंतु इस व्यवस्था में खर्च अधिक आता। अतः महिलाओं ने हर घर से 50 रु. का जनसहयोग उगाहने का निर्णय लिया। आगाखान संस्था से पंप के लिए 25000 रु. मिलने वाले थे। उससे सिंगल फेझ मोटर खरीदने का निर्णय लिया गया। पानी की व्यवस्था बनाने में कम से कम खर्च लगे, इसके लिए महिलाओं ने अच्छा उपाय ढूँढ़ निकाला। पुराने पंप को निकलवा कर उस बोर में मोटर उतारना। ताकि बोर का खर्चा न करना पड़े और कामचलाऊ मोटर से गाँव के कुएं से पानी डालकर पानी भरा जा सके। महिलाओं का यह उपाय सभी ग्रामजनों को अच्छा लगा। पुरुषों को स्त्रियों की दिमागी-सूझ पीछे से ईर्ष्या होने लगी। इस सम्पूर्ण व्यवस्था का यश महिलाएँ न ले जाएँ, इसलिए पुरुषों ने 400 रु. का योगदान इकट्ठा किया। इस तरह, 'बूंद-बूंद से सागर भरता है' न्याय के अनुसार खर्चे के लिए आवश्यक धन इकट्ठा हो गया। उससे मोटर लाकर पूरी व्यवस्था जुटाने का काम पूरा हुआ।

अस्पृश्यता समाप्त हुई

पेयजल के सुव्यवस्थित संचालन के लिए गाँव के उत्साही कार्यकर्ता श्री अमरसिंहभाई, छगनभाई, धनाभाई, गाँव के शिक्षक सोमाभाई व अन्य पुरुषों ने ग्रामसभा आयोजित की। उसमें मुहल्ले और परिवार-वार एक एक व्यक्ति को शामिल करके 14 सदस्यों की एक जल-समिति बनाई गई। लाखणका गाँव में पानी का सुख हो गया। यही नहीं, अस्पृश्यता भी समाप्त हो गई। पहले तो हरिजन महिलाएँ कुएँ से छू भी नहीं सकती थीं। अन्य जाति की महिलाएँ उनको कुएँ से पानी भरकर देती थीं। लेकिन मोटर द्वारा कुएँ में पानी डालने की यह व्यवस्था होने के बाद संगठन की भावना से अस्पृश्यता की कुप्रथा बिल्कुल बंद हो गई है। आज गाँव की सवर्ण और हरिजन महिलाएँ एक साथ कुएँ से खुशी-खुशी पानी भरती हैं।

हालाँकि यह योजना अधूरी भी थी, क्योंकि पानी की मोटर को चालू-बंद करना पड़ता और बिजली न होने पर पानी निकाल पाना असंभव था। पानी एकत्रित करने के लिए वास्तव में गाँव में स्टोरेज टंकी की जरूरत थी। टंकी लगवाकर यह योजना पूरी की जाए, इसके लिए महिलाओं ने गाँव के पुरुषों को जोश-दिलाया. 'बहनों के पैर पूजिये। बहनों ने मिलकर इतनी सारी सुविधा जुटा दी। गाँव के सरपंच, बड़े-बड़े पटेल और आप सब नाम मात्र हो। अगर बड़े हो तो इस योजना को पूरा कीजिये न!'

ग्रामीण महिलाओं के कटाक्ष का पुरुषों पर अच्छा-खासा प्रभाव पड़ा। अधूरी योजना को पूरी करने के लिए समिति के सदस्य तैयार हो गए। आगाखान संस्था की मदद से 'गुजरात जल आपूर्ति बोर्ड' में आवेदन करके रु. 65,000 की 20,000 लीटर क्षमतावाली सिंटेक्स की टंकी ले आए। परंतु यही पर्याप्त न था। नल और टंकी का स्टेंड बनवाने तथा पाइप खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। अतः फिर से ग्रामवासियों से 4000 रु. का जनसहयोग एकत्रित किया गया। उत्साही कार्यकर्ता श्री अमरसिंहभाई ने 20

थैले सीमेंट के दिए। टंकी रखने का स्टेंड बनवाने का खर्च पंचायत उठाए, इसके लिए सरपंच से अनुरोध किया गया। सरपंच की ओर से स्वीकृतिपरक प्रतिक्रिया मिली। जरूरी साधन तो एकत्रित हुए, पर अब मजदूरी के लिए मजदूरों को रोकना आवश्यक था। बार-बार जनसहयोग करने के बाद मजदूरी के कार्य के लिए कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए, यह एक सवाल था।

श्रमदान जिंदाबाद

आखिर 'अपनी मेहनत जिंदाबाद' की कहावत सार्थक बनाने का बीड़ा ग्रामवासियों ने उठाया। नल के लिए स्टेंड बनाने हेतु गटर तथा नींव के खुदाई कार्य के लिए जो भाई या बहन कुएँ से पानी भरने आएँ, वे पाँच-पाँच तगारी जितनी मिट्टी खोदकर जाएँ, ऐसा सर्व-सम्मति से तय रहा। शुरूआत में तो ऐसे श्रमदान को किसी ने महत्त्व नहीं दिया। ऐसे में पचास वर्ष के एक वृद्ध ने तगारी उठाई, सिर पर रखी और डगमग चलते चलते पाँच तगारी मिट्टी खोद निकाली। यह देखकर वहाँ पानी भरने आए दूसरे स्त्री-पुरुष भी माटी खोदने लगे।

इस तरह श्रमदान से मिट्टी खोदने का काम पूरा हुआ। गाँव के विद्यालय के शिक्षक भी श्रमदान में सहयोग देने के लिए बालकों को लेकर आए। उन्होंने पानी की टंकी के स्टेंड की गोलाई वाली खाली जगह पर पत्थर व मिट्टी डालकर काम पूरा किया। गाँव के एक भाई ने बिना मूल्य लिए ट्रेक्टर में पत्थर लाकर डाले और अपना योगदान दिया। श्रमदान और गाँव के लिए कुछ करने की उम्दा भावना से गाँव के सरपंच लींबाभाई भी जुड़ गए। उन्होंने ग्राम-पंचायत के बजट से टंकी का स्टेंड बनवाने के लिए सामग्री एवं कारीगर की मजदूरी के खर्च पेटे 15000 रु. चुकाए। यही नहीं, परंतु दूसरे दो नल स्टेंड पंचायत द्वारा बनवाने का वचन दिया। जब मोटर चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी। बिजली लगवाने के लिए ग्राम पंचायत के फंड से 4000 रु. जमा करवाकर थंभा, वायर व अन्य सामग्री गाँव में लाए। गुजरात विद्युत बोर्ड ने तार जोड़ने का वादा किया, पर कोई नहीं आया; अतः ग्रामजनों ने स्वयं नियमानुसार तार जोड़ दिए। इस तरह आगा खान संस्था के तथा जनसहयोग के 8000 रु. (ग्राम श्रमदान), यों कुल मिलाकर 1 लाख 17 हजार रुपयों से योजना पूरी की गई।

मेरा-तेरा नहीं, वरन् हमारा पानी का सुख

नल का स्टेंड तैयार हो गया। अब नल लग गया था। गाँव की महिलाएँ पानी भरने के लिए इकट्ठी हुई थीं। पहला घड़ा भरने के लिए महिलाओं में झगड़ा शुरू हो गया। 'यह हमारे मुहल्ले का नल है और वह तुम्हारे मुहल्ले का।' परंतु नल में पानी आए तो भरें न! पाइप में हवा के कारण पानी आना रुक गया। झगड़ा करने वाली महिलाएँ शांत हो गईं और एक-दूसरी के सामने देखने लगीं। उनको लगा कि सचमुच हमारा-तुम्हारा और मेरा-तेरा करना भगवान को मंजूर नहीं। सबने तय किया कि किसी भी नल से कोई भी व्यक्ति पानी भर सकेगा। आखिरकार पानी आने पर एक नन्हीं बालिका के हाथों पानी के नल का लोकार्पण कराया गया। इस तरह, लाखणका गाँव को अपनी मेहनत से पानी का सुख नसीब हुआ।

जामकंडोरणा तहसील के नौ गाँवों में ग्रामवासियों की दिमागी-उपज से जल का प्रभावशाली संग्रह हुआ

राजकोट जिले के जामकंडोरणा तहसील में नौ गाँवों में जलस्राव विस्तार विकास (वोटरशेड) योजना के अंतर्गत हुए कामों में स्थानीय ग्रामवासियों की दिमागी-सूझ-समझ का भरपूर उपयोग किया गया है। फिर, चेकडेम, पाल बाँधकर पानी रोकने जैसे कामों में इंजीनियर की मदद लिये बिना किसानों ने अपने आप बाँध का काम कराया है। स्थानीय स्वैच्छिक संस्था 'वृक्ष-प्रेम सेवा ट्रस्ट' की काम करने की उल्लेखनीय पद्धति की वजह से ऐसा कार्य संभव हो सका।

50 प्रतिशत लोक भागीदारी लेने से जन सहभागिता बढ़ी

जामकंडोरणा के सनाणा, रामपर, बरड़िया, बालापर, उजळा, बोरिया, गुंदासरी, बेलड़ा और जूना मात्रावड़ आदि नौ गाँवों में वॉटरशेड योजना का क्रियान्वयन करनेवाली संस्था 'वृक्ष-प्रेम सेवा ट्रस्ट' के द्वारा किसानों से काम में खर्च की 50 प्रतिशत राशि जन-सहभागिता द्वारा प्राप्त करने का आग्रह रखा गया। सामान्यतया चेकडेम, तालाब आदि वॉटरशेड के कार्यों में लोगों से 10 प्रतिशत राशि ली जाती है और 90 प्रतिशत राशि का व्यय सरकार करती है, परंतु ट्रस्ट द्वारा 20 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक के खर्च की राशि लोगों से ली गई। लोगों से अधिक राशि लेने के बारे में

'ट्रस्ट' के निदेशक श्री प्रेमजीभाई पटेल का कहना है कि 'लाभार्थी किसानों' से अधिक राशि लेने से योजना के कार्यों में उनकी सहभागिता बढ़ती है। चेकडेम और पाल बनाने के कार्यों को वे अपना काम समझते हुए उसकी सुरक्षा के वास्ते बराबर तैयार रहते हैं।' अगर सरकार के द्वारा ही लोक सहभागिता के बिना काम हुआ होता तो लाभार्थी किसानों में अपनत्व की भावना नहीं आती। 'ट्रस्ट' के कार्यकर्ता भी प्रत्येक गाँव में जन-सहभागिता बढ़ाने के प्रयास करते हैं। गोचर या सरकारी परती भूमि में होने वाले कार्यों में यदि लोग अपना आर्थिक सहयोग अथवा श्रम न दें तो 'जन-सहभागिता नहीं मिली' ऐसा लिखकर उस गाँव में काम छोड़ दिया जाता है। उपर्युक्त नौ गाँवों की कुल 8175 हेक्टेयर जमीन में 53,03,770 रुपयों का कुल खर्च हुआ था। इसमें 4,75,055 रु. जन-सहयोग और जन-सहभागिता से प्राप्त किए गए थे, यह एक उल्लेखनीय बात है।

जामकंडोरणा तहसील के बोरीया गाँव में लाभार्थियों की 20 प्रतिशत भागीदारी के साथ 5 चेकडेम और 250 शोष गड्ढे बनवाए गए। 6 डेम बाँधने के बाद मात्र एक ही वर्षा से गाँव के 19 कुओं की सतहें ऊंची हो गईं और डेम में 20 दिनों का पानी भरा रहा। परिणामतः खेती की जमीन को ऋतु में तीन बार पानी दिया जा सका। बेलड़ा गाँव में 50 प्रतिशत जन सहभागिता के साथ एक चेकडेम बाँधने से गाँव में 35 कुओं में पानी ऊँचा आ गया। बेलड़ा में ढाई लाख रुपयों के खर्च से दरबार, पटेल आदि हरिजन तीनों जातियों की संयुक्त भागीदारी से डेम बँधाया गया है। 300 फुट लंबे डेम से गाँव में 14 परिवारों को लाभ होगा।

इसी भाँति पटेलों की 132 घरों की आबादी वाले रामपर गाँव में रु. 2.16 लाख के खर्च से जनसहयोग द्वारा 71 फुट ऊंचे चेकडेम बनवाये गये हैं। रसनाळ नदी पर बनवाए ऐसे छः डेमों से गाँव की 750 बीघा जमीन में 80 कुओं को लाभ मिला है। इन छः डेमों पर चार लाख रुपयों के निवेश से 20 लाख रु. का लाभ मात्र एक ही वर्षा में प्राप्त हो गया। रामपर गाँव की महिलाओं की सहभागिता से हुए कार्यों में धोबीघाट का काम उल्लेखनीय है। गाँव की महिलाओं ने अपनी जरूरत के लिए वॉटरशेड योजना के अंतर्गत धोबीघाट बनवाने की बात कही थी, अतः गाँव के 100 घरों से प्रति घर 45 रु. का सहयोग धोबीघाट बनवाने हेतु उगाया गया।

'वृक्षप्रेम सेवा ट्रस्ट' द्वारा हुए वॉटरशेड के कार्यों में महिलाओं को शामिल करने हेतु अनोखी युक्ति आजमाई गई थी। जिन परिवारों के लाभार्थ पाल बनवाई जा रही थी, उन परिवारों की महिलाएँ पाल बनवाने के काम में रोके गए ट्रेक्टर वालों को खाना खिलातीं। ऐसा करने से गाँव-गाँव की महिलाओं को वॉटरशेड के कामों की जानकारी नियमित मिलती रहती और उनको योजना के काम में शामिल किया जाता।

ग्रामजन स्वनिर्भर बने

'ट्रस्ट' द्वारा वॉटरशेड योजना-प्रवेश प्रवृत्ति के कामों में भी कुल खर्च का 50 प्रतिशत जनसहयोग उगाया जाता है। जामकंडोरणा तहसील के बोरीया गाँव में योजना-प्रवेश प्रवृत्ति के अंतर्गत रु. 1,51,000 खर्चा हुआ था, जिसमें सरकार के मात्र 45000 रु. ही खर्च हुए थे, शेष रकम लाभार्थी किसानों ने चुकाई थी। ऐसा होने से बोरीया के किसान गाँव की अन्य समस्याओं के बारे में भी सरकार पर आधारित रहने की बजाय स्वनिर्भर बन गए हैं। लाभार्थी किसान काम के आयोजन, बाँधकार्य, देखरेख एवं सुरक्षा समेत सारे दायित्व खुशी-खुशी निभाते हैं, यह इन कार्यों का एक उल्लेखनीय पक्ष है।

किसान इंजीनियर बने

आज उपर्युक्त नौ गाँवों में बन रहे पक्के बाँधों के काम किसान खुद ही करते हैं। लाभार्थी किसान श्रम करने के लिए यदि स्वयं न आ सकें तो अपनी जगह दूसरे को भेज देते हैं। किसान स्वयं ही चेकडेम बनाते हैं, इसलिए अपने काम जितनी इंजिनियरिंग की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अतः मन से चेकडेम का डर दूर हो जाता है। परिणामतः योजना पूरी हो जाने पर ऐसा कोई भी काम स्वयं करने में सक्षम हो गए हैं। फिर, 'ट्रस्ट' के कार्यकर्ता जैसा कहते हैं कि अपने पसीने के फेविकोल से बना बाँध मजबूत, सस्ता और जल्दी बनता है।

शेष पृष्ठ 11 पर

गतिविधियां

खेत मजदूरों का धरना

गुजरात खेत मजदूर यूनियन की ओर से गांधीनगर में च-5 के फव्वारे के पास 27-12-1999 को सुबह 10 बजे से 28-12-1999 की सुबह 10 बजे तक अनवरत 24 घंटे का धरना खेत मजदूरों की समस्याओं को वाणी प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। यूनियन द्वारा आयोजित इस धरने में लगभग 1000 खेत मजदूरों ने भाग लिया था तथा गुजरात भर के कार्मिकों उसमें उपस्थिति दी थी। यूनियन ने जिन माँगों के साथ धरना आयोजित किया था, उनमें से कुछ माँगें इस प्रकार हैं: खेत मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की दर 34 रु. से बढ़ाकर 73 रुपए घोषित करना, कमी की परिस्थिति के कारण न्यूनतम वेतन धारा के नियम 26(1) का सरकार उपयोग न करे और इस नियम को समाप्त करने के लिए उचित कार्रवाई करे, खेत मजदूरों को चार माह से अधिक काम मिले और इसके लिए न्यूनतम वेतन भुगतान सहित रोजगार निश्चितता योजना सरकार दाखिल करे और इसके निमित्त रु. 300 करोड़ रखे जाएँ, केरल तथा त्रिपुरा की तरह खेत मजदूरों के लिए अलग नियम बनाए जाएँ, गुजरात में बाँधे गए सभी मोटे व मध्यम स्तर के बाँधों के पानी का स्वामित्व हक खेत मजदूरों को दिया जाए। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : गुजरात खेत मजदूर यूनियन, खेत भवन, हरीजन आश्रम के बगल में, अहमदाबाद 380 027 फोन 755 7772.

दलित अधिकार सम्मेलन

राजस्थान में जोधपुर के समीप रामदेवरा में 21 से 23 फरवरी 2000 के मध्य तीन दिनों का एक दलित अधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया। यह द्वितीय सम्मेलन था। प्रथम सम्मेलन 15-16 अप्रेल 1999 के मध्य इसी स्थान पर आयोजित किया गया था। बाड़मेर व जोधपुर के सहभागी समूहों के सहयोग के साथ यह प्रयास किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 300 दलित मुखिया, नेता, पंचायतों के दलित प्रतिनिधि, गुजरात व राजस्थान की विविध स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि इत्यादि उपस्थित थे। सम्मेलन में निम्न योजना तैयार की गई :

1. जन्म, विवाह, मृत्यु के अवसर पर होने वाले व्यय के लिए समुदाय में सामाजिक सुधार किया जाएगा, जिससे कि दलित परिवारों को स्थानीय साहूकारों का कर्जदार न बनना पड़े। साथ ही साथ उनकी बालिकाओं की शिक्षा, बाल विवाह और दहेज पर प्रतिबंध जैसे सामाजिक विकास के मुद्दे हाथ में उठाने तय किए गए। सम्मेलन में आंतरिक सामाजिक सुधार की प्रक्रिया से सामाजिक विकास की कार्यसूची की तरफ आगे बढ़ने के लिए पुनः संकल्प लिया गया।
2. दलित समुदाय में भी जातियों की श्रेणियाँ हैं और अस्पृश्यता का पालन किया जाता है। अतः विविध उपजातियों को और विशेष रूप से निम्न स्तर की जातियों को मुख्य प्रवाह में लाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए स्थानीय नेताओं को इस आंदोलन में सहभागिता हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3. ग्राम स्तर पर तथा जिला स्तर पर दलितों को संगठित करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो प्रति तीन माह में मिलकर प्रक्रिया की समीक्षा करेगी।
4. आज दलित समुदाय बड़े पैमाने पर भेदभाव का सामना कर रहा है। ऊपर की जातियों द्वारा होने वाले अन्याय एवं अत्याचार का इन्हें शिकार बनना पड़ता है। अन्याय के तमाम स्वरूपों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित करने की जरूरत है, इसका इस सम्मेलन में पुनरुच्चार किया गया। सबसे पहले तो प्राथमिक शालाओं, पंचायतों, पानी की व्यवस्था, चाय की दूकानों आदि स्थलों पर दलितों के प्रति जो भेदभाव बरता जाता है, उसका सामना किया जाएगा। उपर्युक्त मुद्दों के समाधान के लिए ब्यौरेवार व्यूहरचना की जाएगी।
5. दलितों में गौरवपूर्ण अस्मिता विकसित करने के लिए बाबा साहेब आंबेडकर के जन्मदिन 14 अप्रेल और पुण्यतिथि 6 दिसंबर को दलित संगठन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राजस्थान के दो जिलों के दलित इस सम्मेलन में उपस्थित थे, पर राजस्थान के अन्य भागों से तथा गुजरात से समान

विचारधारा वाले समूहों के साथ संपर्क स्थापित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें : 'उन्नति' अहमदाबाद

पानी के वितरण का प्रबंध स्वैच्छिक संस्थाओं को सौंपा गया

गर्मियों के दिनों में टेंकर द्वारा लोगों को पानी पहुँचाने के लिए सरकार हर वर्ष लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च करती है और उसमें लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार होता है। इस वर्ष पहली बार सरकार ने टेंकर चलाने का सारा प्रबंध स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद से गाँव में महिलाओं के प्रभुत्ववाली पानी की समिति को सौंपने का निर्णय लिया है। गुजरात जल आपूर्ति एवं गटर व्यवस्था बोर्ड ने 4 जनवरी को इस आशय का परिपत्र जाहिर किया है। 'प्रवाह' ने सरकार के इस निर्णय का सहर्ष स्वागत किया है। इस योजना के अंतर्गत जब से जिन गाँवों में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाएँ तथा बहनों के प्रभुत्ववाली पानी समिति यह दायित्व लेने को तैयार होगी तो सरकार उन्हें टेंकर और पानी का स्रोत तय करने से लेकर उनका सम्पूर्ण नियमन सौंप देगी। इस कार्य के लिए प्रशासनिक खर्च तथा अर्धमासिक स्तर पर टेंकर द्वारा पानी का खर्च चुका दिया जाएगा। अभी तक रीचार्ज की प्रवृत्ति ज्यादातर स्वैच्छिक एवं धार्मिक संस्थाओं तथा सरकार की जल आपूर्ति एवं सिंचाई विभाग की एक-दो योजनाओं तक ही सीमित रही है। जल आपूर्ति बोर्ड ने आज से तीन वर्ष पहले रीचार्ज समिति बनाई थी तब रीचार्ज और वर्षा-जल के संग्रह हेतु भूमिगत टांके के लिए तीन करोड़ का प्रावधान किया था। परंतु इस काम को इतना अच्छा समर्थन मिला है कि इस वर्ष 20 करोड़ के योजनागत प्रावधान के विरुद्ध रु. 32 करोड़ से अधिक खर्च हो चुके हैं। अभी गुजरात में पानी के संबंध में काम करने वाली पाँचेक बड़ी स्वैच्छिक संस्थाएँ और ग्रामीण समूह रीचार्ज हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत करें, इसके लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं।

भावी कार्यक्रम

दलित मानव अधिकार के बारे में राष्ट्रीय सार्वजनिक सुनवाई

राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार आंदोलन द्वारा 18-19 अप्रेल 2000 के दरमियान चेन्नई में वर्ल्ड युनिवर्सिटी सर्विस सेंटर में दलितों में मानव अधिकार बाबत एक सार्वजनिक सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दलितों के मानव अधिकारों के भंग के सामने सभी का ध्यान खींचने हेतु यह सार्वजनिक राष्ट्रीय सुनवाई आयोजित की गई है। सुनवाई में आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्णाटक, केरळ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडु, और उत्तर प्रदेश - इस तरह 11 राज्यों के 40 से 50 मसले प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें निम्न 21 मुद्दों को शामिल किया जाएगा : जमीन और जमीन से जुड़े प्रश्न, वेतन असमानता और उनसे जुड़े प्रश्न, अस्पृश्यता के व्यवहार के विविध स्वरूप, सिर पर मैला ढोने की प्रथा, दलित और शिक्षा, दलित और आरक्षण, दलित महिलाएँ, देवदासी स्त्रियाँ, बालकों की गुलामी, बेगार मजदूरी, उच्च जाति के लोगों द्वारा दलितों पर की जाने वाली हिंसा, चर्च के अंदर दलितों पर रखा जाने वाला भेदभाव, धर्म के आधार पर राज्य के द्वारा रखा जाने वाला भेदभाव, चयमित दलित प्रतिनिधियों के विरुद्ध रखी जानी वाली अस्पृश्यता, अनुसूचित जाति-जनजाति के राष्ट्रीय आयोग का मानव अधिकारों के संदर्भ में प्रभाव, अत्याचार विरोधी धारा - 1989 और उसके 1995 के नियमों का क्रियान्वयन, दलितों के विरुद्ध राज्य की हिंसा, न्यायमूर्तियों और सरकारी अधिकारियों जैसे उच्च स्थानों से दलितों के विरुद्ध भेदभाव, सामूहिक हत्याएँ और सम्पत्ति का नाश, दलितों का सामूहिक बहिष्कार, विकास की वजह से दलितों का विस्थापन। प्रत्येक किस्से में साक्षी अपना प्रमाण देंगे। इन सुनवाई में अग्रणी न्यायमूर्ति, वकील तथा मानव अधिकार क्षेत्र के अग्रणी निर्णायक दल के बतौर काम करेंगे। यह दल 19 अप्रेल को दोपहर बाद अपना फैसला सुनायेगा। इस फैसले का उपयोग बाद में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के समक्ष सिफारिशें करने हेतु किया जाएगा। इस सुनवाई को अनेक संगठनों, आंदोलनों, मजदूर मंडलों एवं संस्थाओं ने समर्थन दिया है।

रंगभेद के बारे में जो वैश्विक परीषद 1 से 5 मई, 2000 के बीच जिनेवा में होने वाली है, उसमें तथा सितंबर 2001 में दक्षिणी अफ्रीका में होने वाली परिषद में इस सार्वजनिक सुनवाई का वृत्तांत प्रस्तुत किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क साधें : हेनरी तिफंगे, इंटर चर्च सर्विस एजेंसी, 93, पेन्थियन रोड, एग्मोर, चेन्नई 600008, फोन : 8261905, 8269143 फेक्स : 8259536, ईमेल : icsa@vsnl.com

संदर्भ साहित्य

मेरी धरती मेरा राज

संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन ने भारत में स्वशासन को स्थानीय स्तर पर वास्तविक बनाने की भूमिका बना दी है। सन् 1992 में हुए इन सुधारों के बाद देश भर में ग्राम पंचायत से शुरू करके नगरपालिका और नगर-परिषद तक इन्हें क्रियान्वित करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। लेखक ने इस पुस्तक में स्वशासन तथा पंचायती राज क्या है, इसे ऐतिहासिक भूमिका के साथ 7 प्रमाणों में समझाया है। पंचायती राज क्या है और अलग अलग राज्यों में उसका क्रियान्वयन किस तरह हो तथा पंचायत के सदस्यों के अधिकार एवं दायित्व क्या हैं तथा ग्राम सभा का महत्त्व क्या है, ये सब बातें इस पुस्तक में समझाई गई हैं। लेखिका स्वयं प्राध्यापिका नहीं वरन् एक कार्मिक है अतः पंचायती राज की प्रणाली और व्यवहार को उसने इस रूप में पचाया है। पुस्तक में सरकार की किन योजनाओं का लाभ पंचायतें ले सकती हैं और उन्हें समाज के दुर्बल वर्गों को प्रदान कर सकती हैं, इसके लिए एक अलग प्रकरण लिखा गया है। इसके उपरांत पंचायतों के लिए उपयोगी सरकारी कार्यालयों के पतों की सूची भी परिशिष्ट में दी गई है। पंचायत के क्षेत्र में काम करने वाले सभी कार्मिकों के लिए यह पुस्तक पठनीय है। लेखिका : आम्रपाली मर्चेंट, पृष्ठ 226, मूल्य 20 रु., प्राप्ति स्थान : गुजरात बिरादरी कृष्णकुटि नं. 5, थियोसोफिकल सोसाइटी, विजय रेस्तरां के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 380 009.

पानी का सवाल और संतुलित विकास का उत्तम मार्ग

यह पुस्तिका गुजरात की पानी की समस्या के संबंध में विस्तार से छानबीन करती है। कच्छ, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात की पानी की समस्या का ब्यौरा देते हुए, इस समस्या का कैसे हल किया जाए, इसके उपायों की प्रस्तुति इस पुस्तिका में की गई है। गुजरात में इस समय अकाल के कारण 8000 से अधिक गाँव पेयजल की गंभीर कमी अनुभव कर रहे हैं। इसके उपरांत अनेक नगरों में भी पानी की भयंकर कमी विद्यमान है। इन परिस्थितियों में पानी की समस्या वाकई किस तरह हल की जाए, यह इस पुस्तिका में समझाया गया है। संकलन एवं प्रस्तुति : दिनकर दवे, पृष्ठ : 44, सहयोग राशि रु. 70, प्राप्ति स्थान : दिनकर दवे, 'नेति' कलिकुंड, धोळका 387810 जि. अहमदाबाद

वॉटर लिंक्स

भारत समेत दुनिया भर में जल-संग्रह के काम में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं की यह डाइरेक्टरी है। इस डाइरेक्टरी में भारत के 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तथा दुनिया के 19 देशों में जल-संग्रह के लिए काम करने वाले लोगों तथा संगठनों की सूची अकारादि क्रम से अंग्रेजी में दी गई है। उसमें व्यक्तियों या संस्थाओं के नाम, पते, फोन, फेक्स तथा ईमेल नंबर और प्रवृत्तियों के प्रकार, संगठनों के प्रकार तथा जल-संग्रह के काम के प्रकार का विवरण दिया गया है। इसके अलावा एकाध एकाध लघुपंक्ति में उसकी प्रवृत्ति का थोड़ा चित्र भी दिया गया है। पुस्तक के अंतिम भाग में भारत के व्यक्तियों और संगठनों तथा विदेशी व्यक्तियों और संगठनों की आकारादिक्रम से सूची दी गइ है। इस डाइरेक्टरी में जिनका समावेश किया गया है उनमें कंसल्टेंट्स, स्थानीय कार्यकर्ता, व्यक्ति और संगठन, प्रेरक, शोधकर्ता तथा टेक्नीकल विशेषज्ञों का समावेश है। संगठनों की अकादमिक संस्थाओं, व्यावसायिक संगठन, दाता संस्थाओं, सरकारी संगठनों, अंतर्सरकारी संगठनों, माध्यमों, गैर-सरकारी संगठनों और शोध-संस्थाओं का समावेश है। इस डाइरेक्टरी का कंप्यूटरीकृत डेटाबेस भी उपलब्ध है। प्रकाशक : सेंटर फोर साइंस एंड एंवायर्न्मेंट, 41 तुगलकाबाद इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110062.

विदेशी अनुदान नियमन कानून (FCRA

भारत सरकार द्वारा विदेशी अनुदान नियमन कानून (FCRA) 1976 में फेरबदल किया गया है। FCRA-2000 के अनुसार FC-1A (10 नं. की आइटम) तथा FC-8 (9 नं. की आइटम) दोनों में कलेक्टर अथवा राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट जोड़ा जाएगा। इस फार्म की प्रति गजट पार्ट 2, सेक्शन 3, सबसेक्शन (1) गृहमंत्रालय, अधिसूचना, नई दिल्ली, 24 जनवरी 2000 से मिलेगी

राज्य स्तरीय विभाग

1. स्थानिक प्रयासों का समर्थन (राजस्थान)

- दलितों के सवालों को लेकर 17 से 19 जनवरी 2000 के मध्य जोधपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर जिलों के नवोदित नेताओं और उनके प्रेरकों के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। उसमें 20 संगभागियों ने भाग लिया था। उसका उद्देश्य राजस्थान में समग्रतया सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना था, और मूलभूत अधिकारों के बाबत दलितों को जाग्रत करने की एक सर्वसामान्य व्यूहरचना विकसित करना था। अहमदाबाद के 'बिहेवियरत साइंस सेंटर' (बी.एस.सी.) के सहयोग के साथ यह कार्यशाला आयोजित की गई थी।
- विगत एक वर्ष के दरमियान राजस्थान की स्थानीय प्रयासों को समर्थन देनेवाली समिति दलितों को संगठित करने की प्रक्रिया में शामिल है। आरंभ में परंपरागत नेताओं अर्थात् मुखियाओं को आंतरिक सामाजिक सुधार करने के बारे में प्रेरणा दी गई। उनको शोषित करने वाले रीति-रिवाजों से दूर करने को प्रेरित किया गया कि वे रीति-रिवाज ही मालमत्ता बेचने अथवा कर्जे की तरफ खींचते हैं। हालाँकि एक वर्ष के अंत में ऐसा लगता है कि समुदाय को संगठित करने की प्रक्रिया में मूलभूत अधिकारों के प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए। इस कार्यशाला में सहभागियों ने महत्त्वपूर्ण कार्य तय किए थे :
  1. सार्वजनिक स्थलों में, विशेष रूप से प्राथमिक शालाओं में सामाजिक भेदभाव का निवारण।
  2. पंचायतों में उसी उम्मीदवार खड़े करके ऊँची जाति के लोग दलितों के प्रति जो भेदभाव बरतते हैं उसके खिलाफ जनमत खड़ा करना।
  3. दलितों और विशेष रूप से स्त्रियों एवं बालिकाओं पर होने वाले अत्याचारों के प्रति ध्यान देना।
  4. सामाजिक विकास के काम के रूप में सामाजिक सुधार की प्रक्रिया चलाना।

  फरवरी 21-23 दरमियान रामदेवरा में एक दलित सम्मेलन का आयोजन किया। उसमें 360 दलित नेताओं ने भाग लिया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दलितों को संगठित करने की प्रक्रिया को गति देना था तथा सार्वजनिक स्थानों पर होनेवाले भेदभाव की समस्या के प्रति व्यूहरचना विकसित करना था। विस्तृत विवरण के लिए देखें 'साम्प्रत प्रवाह'।
- पाँच अंचलों में जीविका-निर्वाह तथा बुनियादी अधिकारों के कार्यक्रम के लिए स्थानीय संगठन को पूरा समर्थन दिया गया। जैसलमेर में 'सृजाम्यहम्' को महिलाओं की आमदनी-सर्जन की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु सहयोग दिया गया। पाली में 'गोडवाड़ ग्रामीण विकास अनुसंधान' को रेबारियों के स्थलांतरण के सवाल पर आयोजन करने तथा निदर्शन - प्रवास आयोजित करने हेतु सहयोग दिया गया। टोंक के पचेवर के ग्रामीण विकास शोध एवं तकनीकी केन्द्र को खेती आधारित जीवननिर्वाह कार्यक्रम के लिए जल व जमीन विकास के कार्यक्रम के आयोजन व देखरेख हेतु सहयोग दिया गया।
- एक्शन एड जयपुर आय - सर्जन के कार्यक्रम के साथ साथ दलितों की सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु संभावनाएँ तलाश रहा है। अलवर के 'मुक्तिधारा संस्थान' को स्थायी बनी घुमंतू जातियों के मूलभूत अधिकारों के सवाल पर समुदाय आधारित व्यूहरचना निर्मित करने हेतु सहयोग दिया जा रहा है। इसके अलावा, मगरा मेवाड़ विकास संस्था (जवाजा), शांति मैत्री मिशन (पूगल), धारा (बाड़मेर), लोक कल्याण संस्थान (बैथु) आदि को संस्थागत व्यवस्थाएँ विकसित करने तथा उनकी भूमिका की स्पष्टता निर्मित करने हेतु संस्थागत विकास के लिए सहयोग प्रदान किया गया।

2. स्थानीय स्वशासन की प्रोन्नति

गुजरात

- गुजरात में पंचायतों के चुनाव आ रहें हैं और उनकी अवधि पूरी होने वाली है। अतः गुजरात में पंचायती राज की स्थिति संबंधी विवरण तैयार हो रहा है।
- 'पंचायत संदर्भ केन्द्र' (पंचायत रिसोर्स सेंटर) की स्थापना को तीन माह हो गए है। अहमदाबाद जिले में यह सरकार के सहयोग से स्थापित हुआ है। उसे हमको चयनित प्रतिनिधियों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने में मदद देनी है। हमने इस केन्द्र की सुदृढ़ बनाने हेतु जिले की 30 पंचायतों का साक्षात्कार भी लिया है।
- साबरकांठा जिले की ब्रह्मखेड़ा तहलील में सूक्ष्म स्तरीय आयोजन किया गया है और 12-4-2000 के दिन आयोजित होने वाली ग्राम सभा में पंचायत प्रधान की उपस्थिति में लोगों की योजना प्रस्तुत की जाएगी।
- गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के 'समता एवं विकास संस्थान' में चयनित महिला प्रतिनिधियों की स्थिति तथा उन्हें सक्षम बनाने के

लिए व्यूहरचना पर आयोजित परिसंवाद में 'उन्नति' के अनुभव भी दरसाये गए।

राजस्थान

- उस तीन माह की अवधि के दौरान पंचायती चुनावों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। विशेष रूप से सभी उम्मीदवार और महिलाओं संबंधी जनमत एवं जाग्रति पैदा करना उसका उद्देश्य था।
- राजस्थान में पंचायती चुनाव जनवरी के अंत में और फरवरी के आरंभ में सम्पन्न हुए। 3-4-2000 को राज्य स्तरीय व्यूहरचना गढ़ने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। उसमें 30 संगठनों ने भाग लिया। गाँवों में भितिचित्र, पत्रिकाएँ, ओडियो केसेट्स, कठपुतली के प्रयोग तथा बैठकों के द्वारा जागृति फैलाने का आंदोलन चलाया गया। अंत में दो दिनों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस आंदोलन का परिणाम यह आया कि कई स्थानों पर सामान्य बैठकों पर दलित उम्मीदवारों के बतौर खड़े रहे तथा चुने भी गए। इस अभियान ने हमें पैसों, जाति एवं महिलाओं के सवाल राजकीय प्रक्रिया में क्या भूमिका अदा करते हैं, इसकी समझ एवं अनुभव प्रदान किये।
- चुनावों के पश्चात् नव पयनित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाने के लिए तीन दिनों का सघन प्रशिक्षण 'जिला महिला विकास संस्था' के सहयोग से आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण जोधपुर जिले में मार्च-अप्रेल के दौरान आयोजित किया जा रहा है।
- राजस्थान की पंचायत राज की स्थिति बाबत एक विवरण तैयार किया जा चुका है।

क्षेत्र स्तरीय विभाग

1. दस्तावेजीकरण और विकास शिक्षण

- महाराष्ट्र में कार्यरत 'क्राई' के सहभागी संगठनों के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु उसे 8 जनवरी 2000 के मध्य व्यूहात्मक आयोजन के बाबत एक कार्यशाला आयोजित की गई।
- सहभागी प्रशिक्षण की पद्धतियाँ सुधारने हेतु उनका उपयोग करने वाले अनेक लोगों के साक्षात्कार लिये गए और उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। हमने 1-2 फरवरी, 2000 के मध्य दस्तावेजीकरण के दोनो बाबत चर्चा करने के लिए 'पार्टिसिपेटी रिसर्च इन एशिया' द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एक कार्यशाला में भी भाग लिया। 'उन्नति' ने गुजरात से उसके प्रभाव बाबत दस्तावेजीकरण कराने का दायित्व उठाया है। विविध प्रादेशिक व्यूहरचनाओं के बारे में सूचनाएँ एकत्र करके सहभागी प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने की व्यूहरचना बनेगी।
- 'फ्रेंड्स ऑव द वीमेंस वर्ल्ड बेंकिंग' (भारत) द्वारा 16-17 फरवरी 2000 के मध्य 'स्वशक्ति' हेतु आयोजित प्रशिक्षण में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन बाबत एक बैठक की गई।
- 'सामाजिक विकास के दृष्टिकोण' बाबत 27-31 मार्च 2000 के मध्य गुजरात एवं राजस्थान के कार्मिकों हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसका उद्देश्य सहभागियों को सीमांतरण की प्रक्रिया पहचानने में सक्षम बनाना तथा समता, महिला न्याय, सहभागिता तथा सक्षमता जैसे विचारों से अवगति कराना था। उसमें 16 संगठनों के 26 सहभागियों ने भाग लिया।
- 'उन्नति' का वार्षिक प्रतिवेदन अंग्रेजी में तैयार कराया गया है तथा प्रकाशित भी कराया गया है। उसके गुजराती एवं हिन्दी अनुवाद भी तैयार हुए हैं तथा विविध सहभागी संस्थाओं को भेजे जा रहे हैं।
- इन तीन महीनों में 'उन्नति'का सूचना-पत्र तैयार कराया गया है और अब प्रकाशित होगा।
- 'स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन' इकाई राजस्थान में मतदाताओं की जागृति हेतु आंदोलन करने तथा 'स्मृति खेल' का क्षेत्रीय परीक्षण करने हेतु सहयोग दिया गया है। यह खेल पंचायती राज एवं स्वशासन बाबत शिक्षकों को प्रशिक्षण पुस्तिका का एक भाग है। फिर, राजस्थान में नव चयनित महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का ढाँचा तैयार करने में सहयोग दिया गया।
- गुजरात में स्थानीय प्रयासों को सहयोग प्रदान करना जारी है।

2. अनुसंधान, पैरवी तथा सम्बंधित गतिविधियां

गत वर्ष से शोध और समर्थन इकाई शहरी शासन में नागरिकों की भागीदारी की समीक्षा करने हेतु कार्यलक्ष्यी शोध अपने हाथ में ले रही है। नागरिकों की भागीदारी स्थापित करने और उनको सक्षम बनाने हेतु वातावरण निर्मित करने के वास्ते हम दहेगाम और धोळका इन दो शहरों में सघन रीति से काम कर रहे हैं और नागरिकों की भागीदारी कायम करने के लिए व्यवस्था खड़ी करने बाबत स्व-

अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। उसके परिणामस्वरूप इन दो शहरों में अनेक प्रवृत्तियाँ हाथ में ली गई हैं।

- शहर के लिए कोइ क्या योगदान दे सकता है, यह जानने के लिए प्रत्येक समूह की अपेक्षाएँ ज्ञात करने के हेतु दृश्य और अदृश्य हितैषियों का समग्र चित्र तैयार किया जा रहा है। इस जानकारी का उपयोग शहर की विकासोन्मुखी योजना तैयार करने के लिए किया जाएगा।
- धोळका में हाल में ही सम्पन्न नगरपालिका चुनावों में किसी भी राजकीय पक्ष को बहुमत नहीं मिला। पहले की नगरपालिका को इसी कारण से सुपरसीड किया गया था। 'उन्नति' ने तमाम कौंसिलरों और धोळका के कितपय अग्रणी लोगों के साथ परिस्थिति की चर्चा करने तथा स्थिर सरकार लाने की प्रक्रिया शुरु करने हेतु एक बैठक आयोजित की थी। उसमें राजनीति से परे जाकर शहर के विकास हेतु योजना तैयार करने का इरादा था।
- इन तीन महीनों की अवधि में मलाव तालाब के समीप बगीचे में सफाई, चित्रकला प्रतियोगिता, स्वच्छ गली स्पर्धा तथा सूत्र-लेखन स्पर्धा जैसी प्रवृत्तियाँ नगरपालिका के सहयोग से नागरिकों के साथ संयुक्त रीति से हाथ में ली गई। इन प्रवृत्तियों द्वारा हम नागरिकों की सक्रिय एवं प्रतिभावात्मक भागीदारी की आशा रख सकते हैं। इसके उपरांत हितैषी समूहों और नगरपालिका के बीच भागीदारी स्थापित हो सके, ऐसी भी आशा रखी जा सकती है। हालाँकि इन तीन महीनों के दरमियान जिस प्रवृत्तियों का आयोजन हुआ है वे आगामी तीन महीनों में हाथ में ली जा सकेंगी।
- इसी भाँति दहेगाम नगरपालिका में हम नागरिकों, कौंसिलरों एवं कर्मचारियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं। हमने नगरपालिका के बाबत जानकारी उसके कार्यालयों से प्राप्त की है।
- शहरी शासन के बारे में इस प्रक्रिया में जो अनुभव हुए, इनकी प्रस्तुति 'पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया) द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में 18-19 फरवरी 2000 के बीच आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में की गई।

'चरखा' की प्रवृत्तियाँ

- इन तीन माह की अवधि में पानी की समस्या और उसकी व्यवस्था के लिए जाने वाले प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके विकासोन्मुखी लेख लिखे गए।
- 'सेवा' और 'कच्छ-महिला विकास संगठन' (भुज) के कार्मिकों हेतु लेखन-कौशल की कार्यशाला आयोजित की गई। उसके अलावा, गुजरात युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की कुछ कक्षाएं भी ली गई।
- धोळका तहसील में एक कारखाने से फैलते प्रदूषण के संदर्भ में 'अहमदाबाद स्टडी एक्शन ग्रुप' (असाग) को माध्यमों बाबत पूरा सहयोग दिया गया। परिणामतः प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कारखाने को ताला मार दिया। हिम्मतनगर के पोट्री मजदूरों के न्यूनतम वेतन संघर्ष को सच्चे दृष्टिकोण के साथ स्थानीय अखबारों में पहुँचाया गया।
- 'आंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के आयोजन संबंधी स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रयासों को माध्यमों तक पहुँचाया गया।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संस्थान

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-6746145, 6733296 फैक्सः 079-6743752 email: unnati@ad1.vsnl.net.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

21-ए 9वां पॉल रोड, बच्छराज जी का बाग, जोधपुर-342003 राजस्थान

फोन/फैक्सः 0291-643248, फोनः 0291-642185 email: unnati@datainfosys.net

गुजराती से अनुवादः रामनरेश सोनी, **चित्रांकनः** रणजित बालमुचु

मुद्रकः कलरमेन ऑफसेट, सेलर, आगमन, मयुर कॉलोनी के पास, मीठाखळी छः रास्ता, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380 009, फोन नं. 6431405

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।